

- 1प1 कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें (सूचना का अधिकारी 2005)
- 1.1 भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया है। लोकतंत्र की अपेक्षा है कि नागरिकों को सूचना की जानकारी कराई गई हो और सूचना की पारदर्शिता हो, यह लोकतंत्र के कृत्यों के लिये तथा भ्रष्टता समाविष्ट करने के लिये भी और सरकारों और उसके माध्यमों को शासितों के प्रति जवाबदेह रखने के लिये यह प्राणवायु है। वास्तविक व्यवहार में सूचना जानकारी के प्रकट दिये जाने में सरकारों के कुशल/दक्ष संचालन, वित्तीय सीमित संसाधनों के अनुकूलन उपयोग और संवेदनशील जानकारी/सूचना की गोपनीयता के परिरक्षण को सम्मिलित करते हुये अन्य लोक हितों के साथ संघर्ष संभावित हैं। लोकतांत्रिक आदर्शों को परिरक्षण करने में इन संघर्षशील हितों में सामन्जस्य बैठाना आवश्यक है। इसलिये नागरिकों को कतिपय सूचना/जानकारी उपलब्ध कराने के लिये जो जानकारी/सूचना पाने के इच्छुक हैं उपबंध करने के लिये यह समीचीन है।
- 1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य।
- 1.2 (1) उद्देशिका में लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुये यह माना गया है कि संवेदनशील गोपनीयता बनाये रखने के लिये परिरक्षित सूचना/जानकारी को छोड़कर शेष सूचना/जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना सरकारों तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा।
- (2) पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति सरकारों तथा उनके माध्यमों द्वारा बनये रखने में विकृति/भ्रष्टता भी दूर रह सकेगी तथा जन विश्वास एवं जनभागीदारी को यथार्थ में प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- (3) नागरिकों से संबंधित लोक हित के कार्यों में अनावश्यक विलंब तथा नोकरशाही का प्रमाद दूर रह सकेगा और शासन तथा उसके माध्यमों द्वारा जनता/नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का अहसास पुष्ट हो सकेगा।
- (4) नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर अनावश्यक रूप से शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से आतम्सयंम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर, राष्ट्रहित में स्वस्थ चिंतन रखना होगा।
- 1.3 यह हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है।
- 1.3 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष समस्त भारतीय नागरिक।
- 1प4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप।
- 1प4 अध्याय 1—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रारंभिक परिचय और परिभाषाएँ हैं। अध्याय 1 में सूचना से संबंधित प्राधिकारियों के संक्षिप्त नाम अधिनियम का विस्तार तथा अधिनियम का प्रारंभ है। अध्याय 2—सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों के दायित्व है। अध्याय 3—केन्द्रीय सूचना आयोग है। अध्याय 4—राज्य सूचना आयोग है। अध्याय 5—सूचना आयोगों की शक्तियाँ तथा कृत्य अपील और शास्तियाँ हैं। अध्याय 6—विविध।
- 1प5 परिभाषाएं (कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग करी गयी शब्दावली को परिभाषित करें)।
- 1.5 "समुचित सरकार" से अभिप्रेत लोक प्राधिकारी के संबंध में जो कि स्थापित है, गठित है, स्वामित्व है, नियंत्रित है या सारत : निधियो द्वारा वित्तीय प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षत : उपबंध किये गये हो :
- (1) केन्द्रीय सरकार या संघीय क्षेत्राधिकार प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार।
- (2) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार।
- "केन्द्रीय सूचना आयोग" से अभिप्रेत है धार 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग।
- "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से अभिप्रेत है, उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और उसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी सम्मिलित है।

“मुख्य सूचना आयुक्त (कमिष्णर)” तथा “सूचना आयुक्त” से अभिप्रेत है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किये गये हैं।

“सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है –

(1) लोक सभा के बार में “स्पीकर” अथवा राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्राधिकार रखने वाली ऐसी असेम्बली (सभा) और राज्यों की परिषदों या राज्य की विधान परिषद के बारे में चेअरमेन ।

(2) सुप्रीमकोर्ट के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति ।

(3) हाईकोर्ट के बारे में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति ।

(4) संविधान के द्वारा स्थापित या उसके द्वारा या उसके अधीन गठित अन्य प्राधिकारियों के बारे में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जैसी स्थिति है ।

(5) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक ।

“सूचना” से अभिप्रेत है किसी भी प्रारूप में कोई सामग्री जिसमें सम्मिलित है, अभिलेख (रिकार्ड्स), विलेख (दस्तावेजात), मेमोज (ज्ञापन), ई-मेल्स, सम्मितियां राय (ओपीनियंस), सलाह परामर्ष (एडव्हाइस), प्रेस-प्रकाशनी (प्रेस रिलीजेज), कागजात (पेपर्स), नमूने (सेम्पल्स), माडल्स, डाटा सामग्री को किसी इलेक्ट्रानिक फार्म में धारित हो और किसी प्रायवेट निकाय के संबंध में सूचना जिन पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा पहुंच हो सकती है। (अभिगम्य है)

“विहित” से अभिप्रेत है समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ।

“लोक प्राधिकारी” से अभिप्रेत है स्वायत्त शासन का कोई प्राधिकारी, या निकाय या संस्था जो स्थापित की गई हो या गठित की गई हो –

(1) संविधान के द्वारा या अधीन

(2) संसद द्वारा बनाये गये किसी अन्य विधि के द्वारा

(3) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये किसी अन्य विधि के द्वारा

(4) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या दिये गये आदेश और सम्मिलित है, कोई निकाय –

(1) जो स्वामित्व के अधीन हो, नियंत्रण के अधीन हो या सारत : वित्तीय पोषण के अधीन हो ।

(2) ऐसे गैर सरकारी (अषासकीय) संगठन जिन्हे सारत: वित्तीय पोषण किया गया हो ।

समुचित सरकार द्वारा दी गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस उपरोक्त निकाय या अषासकीय संगठन का वित्तीय पोषण किया गया ।

“अभिलेख” में सम्मिलित है –

(1) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल

(2) कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिक और दस्तावेज/विलेख की फैंसीमाइल कापी

(3) ऐसी माइक्रोफिल्म में प्रस्तुत की गई किसी चित्र/प्रतिमा/मूर्ति/बिम्ब का कोई पुनः प्रस्तुतीकरण/पुनः रचना ।

(4) कोई अन्य सामग्री जो कम्प्यूटर द्वारा अथवा किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा प्रस्तुत की गई ।

“सूचना का अधिकार” से अभिप्रेत है, ऐसी सूचना का अधिकार जो इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य (अभिगम्य) है जो कि किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा धारित है और इसमें ऐसा अधिकार सम्मिलित है –

(1) किसी कार्य/कर्म/कृत्य/काम/क्रिया का, दस्तावेजों का या अभिलेखों (रिकार्ड्स) का निरीक्षण ।

(2) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स लेना, सार संक्षेप लेना या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना ।

(3) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ।

(4) जहां ऐसी सूचना का कम्प्यूटर में या किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा भण्डारण की गई हो वहां उसको (ऐसी सूचना को) डिस्कट्स या फ्लोपीज, टेप्स, वीडिया कैसेट्स के रूप में या किसी अन्य विद्युत तरीके या प्रिंट आउट के माध्यम से प्राप्त करना ।

“राज्य सूचना आयोग” से अभिप्रेत है धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित किया गया राज्य सूचना आयोग ।

“राज्य मुख्य सूचना आयुक्त” तथा “राज्य सूचना आयुक्त” से अभिप्रेत है धारा 15 की उपाधारा (3) के अधीन नियुक्त किये गये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त ।

“राज्य लोक सूचना अधिकारी” से अभिप्रेत है धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उसी प्रकार पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ।

“तीसरा पक्ष” से अभिप्रेत है सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, और इसमें कोई लोक अधिकारी भी है ।

1प6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क व्यक्ति ।

1.6 लोक प्राधिकरण का नाम : आदिम जाति कल्याण विभाग, नीमच

सहायक लोक सूचना अधिकारी : (कार्यालय स्तर)

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी.एल. वर्मा	क्षेत्र संयोजक	07423 07422	257521	223869	257521	—	न्यू कलेक्टेट भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

लोक सूचना अधिकारी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1		जिला संयोजक	07423	257521		257521		न्यू कलेक्टेट भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

विभागीय अपीलीय अथोरिटी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस.बी. सिंह	कलेक्टर	07423	223063	220083	228500	sbsdmmh@rediffmail.com	न्यू कलेक्टेट भवन, नीमच

सहायक लोक सूचना अधिकारी : (पो.मै. छात्रावास)

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री अमृतराम मालवीय	उ.श्रे.षि.	07421	—	238897	—	—	पो.मै.बालक छात्रा,रामपुरा
2	श्री रमेशचंद्र पंवार	उ.श्रे.षि.	07423	—	232956	—	—	पो.मै.बालक छात्रा.नीमच

3	श्री शोभाराम सूर्यवंशी	सहा. पिक्षक	07420	—	232141	—	—	पो.मै.बालक छात्रा.जावद
4	श्रीमति भगवती फतनानी	परिचारि का	07423	—	222471	—	—	पो.मै.कन्या छात्रा.नीमच

सहायक लोक सूचना अधिकारी : (प्री.मै. छात्रावास)

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री मेवालाल छपरा	सहा. पिक्षक	—	—	94254 41422	—	—	बा.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच
2	कु. सुरेखा अम्ब	सहा. पिक्षक	07423	—	210903	—	—	क.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच
3	श्री जगदीष कोडावत	उ.श्रे.पि.	—	—	98266 03723	—	—	विजा.छात्रा. नीमच
4	श्रीमति रेखा लोक्स	सहा. पिक्षक	07423	—	210960	—	—	कन्या आश्रम चीताखेडा
5	श्री चंदरसिंह चौहान	सहा. पिक्षक	—	—	98273 67445	—	—	बा.छात्रा. चीताखेडा
6	श्रीमति शांति बेरवाल	सहा. पिक्षक	07422	—	242948	—	—	बा. आश्रम बोरदियाकल
7	श्रीमति माग्रेट मगनजी	सहा. पिक्षक	07423	—	223194	—	—	क.उत्कृष्ट छात्रा.जावद
8	श्री शोभाराम सूर्यवंशी	सहा. पिक्षक	07420	—	232141	—	—	बा.उत्कृष्ट छात्रा.जावद
9	श्री कन्हैयालाल चन्देल	सहा. पिक्षक	07421	—	247270	—	—	बा.छात्रावास मोरवन
10	श्री कन्हैयालाल टुमरिया	सहा. पिक्षक	07420	—	254908	—	—	बा.छात्रावास डीकेन
11	श्रीमति हेमलता बोराना	सहा. पिक्षक	07420	—	232707	—	—	कन्या छात्रा. सिंगोली
12	श्री जगन्नाथ बामनिया	सहा. पिक्षक	07420	—	251047	—	—	बालक छात्रा सिंगोली
13	श्री बच्चुसिंह तोमर	सहा. पिक्षक	07421	—	223343	—	—	बा.उत्कृष्ट मनासा
14	श्रीमति शषीकांता खरे	उ.श्रे.पि.	07421	—	244128	—	—	क.छात्रा. मनासा
15	श्रीमति कुर्दला एक्का	सहा. पिक्षक	07421	—	231632	—	—	आदि.कन्या छात्रा कुकडेष्वर
16	श्री रामप्रसाद धनोतिया	सहा. पिक्षक	07421	—	231334	—	—	बा.आश्रम कुकडेष्वर
17	श्रीमति हेमलता टांकवाल	सहा. पिक्षक	07421	—	231504	—	—	क.आश्रम कुकडेष्वर

18	श्री सुरज पटेल	सहा. शिक्षक	-	-	-	-	-	बा.छात्रा. कुण्डला
19	श्री अमरसिंह पंवार	सहा. शिक्षक	07421	-	247868	-	-	बा.आश्रम धाकडखेडी
20	श्रीमति शकुंतला शर्मा	सहा. शिक्षक	07421	-	239003	-	-	क.छात्रा. रामपुरा
21	श्री कचरूलाल बिलोदिया	सहा. शिक्षक	07421	-	231509	-	-	आदि.बालक छात्रावास कुकडेघर
22	श्रीमति विद्यावती परमार	उ.श्रे.षि.	07421	-	212332	-	-	क.आश्रम आंतीमाता

लोक सूचना अधिकारी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी.एल. वर्मा	क्षेत्र संयोजक	07423 07422	257521	223869	257521	-	न्यू कलेक्टेट भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

विभागीय अपीलीय अथोरिटी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1		जिला संयोजक	07423	257521		257521		न्यू कलेक्टेट भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

- 1ण7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क ।
1.7 शासन से स्तर निर्धारित होना अपेक्षित ।

2ण1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य ।

2ण1 प्रत्येक लोक प्राधिकारी से अपेक्षा की गई है की वे भारतीय नागरिक के अनुरोध पर सूचना ही पहुँच उसे अधिनियम के उपबंधों के क्रियावयन में उपलब्ध करावे एवं समयावधि में इस हेतु आवश्यक कदम उठाये । लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन लोक हित में संगत जानकारी तक राज्य के प्रत्येक नागरिक की पहुँच को सुनिश्चित करने और प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता को एक अधिकार के रूप में प्रोन्नत करें ।

2ण2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन ।

2ण2 लोक प्राधिकरण का मिशन सकारात्मक होना चाहिये । सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाहियों का संरक्षण होना चाहिये । सूचना के अधीन परिभाषित सामग्री की जानकारी अनुरोधकर्ता को लोक प्राधिकारी विधिवत उपलब्ध करायेगा और मनमाने तौर पर अपेक्षा की प्रवृत्ति नहीं रखेगा । लोक प्राधिकारी के कृत्यों में पारदर्शिता तथा नागरिकों के प्रति जवाबदेही की भावना/मानसिकता विकसित हो सके तथा

स्वच्छ प्रशासन नागरिकों की सामान्य सुविधाओं के लिये प्राप्त रह सके तथा लोक हित के कार्यों में अमानक स्तर के रूप में घटिया निर्माण नहीं हो सके, लोक हित के कार्यों की सुनवाई समय पर सक्षम लोक प्राधिकारीगण कर सके, समुचित राहत नागरिकों को समय की प्रतिबद्धता, कर्तव्य परायणता, एवं जनसेवक होने की सच्ची तत्परता के साथ उपलब्ध कराई जा सके, नागरिकों को अधिकार के दुरुपयोग से बचना चाहिये ।

2^{प3} लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग ।

2^{प3} आजाद भारत के पूर्व के कानूनों में शासन जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, उसे क्रियाकलाप में पारदर्शिता की आवश्यकता या अनिवार्यता बिलकुल नहीं थी। सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम क्र. 5/2003 6 जनवरी, 2003 को लाया गया जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड-1 दिनांक 7.1.2003 पृ. 1-8 पर अंग्रेजी पाठ प्रकाशित हुआ। मध्यप्रदेश जानकारी की स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 क्र. 3/2003 की धारा 14 में इसे अध्यारोही प्रभाव दिया गया । धारा 9 में लोक निकाय के प्रमुख का मानीटरिंग करने का दायित्व रखा गया, तीन दिन में जानकारी न देने पर धारा 8 में शास्ति रखी गई ।

इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय कानून Right to Information Act, 2005 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पहल पर संविधान के अनुच्छेद 19 के पवित्र उद्देश्य को पूरा करने तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भारतीय नागरिक के प्रति शासन/प्रशासन में मानसिकता विकसित करने हेतु अधिनियमित किया जाना स्वागत योग्य है। शुद्ध क्रियावयन अपेक्षित है।

2^{प4} लोक प्राधिकरण के कर्तव्य ।

2.4 लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन लोक हित में संगत जानकारी तक राज्य के प्रत्येक नागरिक की पहुँच को सुनिश्चित करने और प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता को एक अधिकार के रूप में प्रोन्नत करना ।

लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमित होने के दिनांक से 120 एक सौ बीस दिनों के भीतर (प्रत्येक लोक प्राधिकारी) निम्नलिखित का प्राकषण करेगा -

- (1) इसके संगठन कृत्य तथा कर्तव्यों की विषिष्टताएँ ।
- (2) इसके अधिकारीगण तथा कर्मचारी/कर्मचार/नियोजितों की शक्तियाँ और कर्तव्य ।
- (3) विनिष्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाले प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही का माध्यम/सरणी भी ।
- (4) उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा मानदण्ड/प्रतिमान निश्चित करना ।
- (5) उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों, विनियमों, अनदेशों, मेन्युअल्स, और अभिलेख ।
- (6) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण ।
- (7) उसकी नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा उसके कार्यान्वयन/परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध/व्यवस्था की विषिष्टियाँ जो कि लोक सदस्यों द्वारा परामर्ष किये जाने के लिये या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये मौजूद है/अस्तित्व में है ।
- (8) उन बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्ष के आषय के लिये रखे गये हैं, का विवरण और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिये (सार्वजनिक रूप से) खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के ब्यौरे/विवरण पब्लिक के लिये पहुंच योग्य/अभिगम्य हैं ।
- (9) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों/कर्मचारों/नियोजितों की निर्देशिका (डायरेक्टरी)
- (10) मासिक पारिश्रमिक जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकर की पद्धति भी ।
- (11) उसके प्रत्येक एजेंसी (अभिकरण) के लिये आवंटित बजट समस्त योजनाओं की, प्रस्तावित खर्चों (व्ययों) की तथा किये गये भुगतानों/अदायगी की रिपोर्ट्स की विषिष्टियाँ ।

(12) अनुदान के प्रोगामों के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोगामों के हितग्राहियों के विवरण ।

(13) उसके द्वारा दी गई रियायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा-पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विषिष्टियां ।

(14) उसके द्वारा प्राप्यनीय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण ।

(15) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं की विषिष्टियां और वाचनालय या रीडिंग रूम के कार्यकारी घंटे यदि लोक उपयोग के लिये बनाये रखा गया है, की भी विषिष्टियां ।

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदसंज्ञा/पदनाम तथा अन्य विषिष्टियां ।

(17) ऐसी अन्य सूचनाएँ जो विहित की जायें ।

और उसके पश्चात् प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों को आदिनांकित रहना ।

(1) लोक प्रभावित होने वाली महत्वपूर्ण नीतियों को सूत्रबद्ध करते समय या ऐसे विनिष्चयों/निर्णयों को घोषित करते समय जिनसे लोक प्रभावित होता है, समस्त सुसंगत तथ्यों का प्रकाशन ।

(2) उसके प्रशासनिक या न्यायिक कल्प/अर्द्धन्यायिक विनिष्चयों/निर्णयों के कारणों का बताया जाना, व्यक्तियों को जिन्होंने प्रभावित किया है ।

2५5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य ।

2५5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य अनुरोध को प्राप्त करना एवं अनुरोध का निपटारा करना जिससे लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन लोक हित में संगत जानकारी तक राज्य के प्रत्येक नागरिक की पहुँच को सुनिश्चित करने और प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता को एक अधिकार के रूप में प्रोन्नत करना ।

2५6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण ।

2.6 लोक प्राधिकारी प्रत्येक सूचना व्यापक रूप से ऐसे प्रारूप और रिति से जो पब्लिक की आसानी से पहुँच में हो प्रत्यारित करेगा । समस्त सामग्री यह ध्यान में रखते हुये की मुख्य प्रभावीकरण स्थानीय भाषा, और उस स्थानीय क्षेत्र में संसूचना का अधिकतम प्रभावी तरीका तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा स्थिति के साथ निःशुल्क या ऐसे मुख्य पर जो मिडियम या प्रिंट कास्ट प्राईज जैसी विहित की जावेसंभव विस्तार में इलेक्ट्रानिक फार्मेट में जो आसानी से पहुँच योग्य होना चाहिये, प्रचारित की जावेगी । लोक प्राधिकारी को निम्नानुसार प्रकाशन करना आवश्यक है

(1) प्राधिकारी के संगठन, कृत्य तथा कर्तव्य ।

(2) प्राधिकारी के अधिकारी तथा कर्मचारी की शक्तियाँ और कर्तव्य ।

(3) निर्णय लिये जाने के प्रक्रम में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी ।

(4) कृत्यों के निवर्हन करने के लिये उसके द्वारा मानदण्ड प्रतिमान निश्चित करना ।

(5) कृत्यों के निवर्हन करने के लिये कर्मचारी/अधिकारियों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों अनुदेश, मेनुअल, रिकार्ड्स ।

2५7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (षासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढाँचा (जहाँ लागू हो)

2.7 जिले के लिये विभागांतर्गत निम्नानुसार ढाँचा है -

आयुक्त
आदिवासी
विकास

आयुक्त
अनुसूचित
जाति विकास

संचालक
पिछडा वर्ग
कल्याण

संचालक
आदिम जाति
क्षेत्रीय योजनाएँ

संचालक
आदिम जाति
अनुसंधान केन्द्र

जिले स्तर पर :



जिला संयोजक एवं क्षेत्र संयोजक तथा कनिष्ठ लेखाधिकारी

ब्लाक स्तर पर :



मंडल संयोजक

- 2०८ लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं ।
- 2०८ किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्य के लिये कोई दावा, अभियोजन या अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित न की जावे, जो कि सद्भावनापूर्वक इस अधिनियम के अधीन किया गया हो । अर्थात् –
- (ए) जिस कार्य या बात के संबंध में लोक प्राधिकारी का कार्य सद्भावना पूर्वक रहा हो तो उसके विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत न करें ।
- (बी) सद्भावनापूर्वक किसी कार्य के करने में इमानदारी का तत्व का समावेश रहता है। उस बात या कार में भले ही असावधानी रही हो या न रही हो अभियोजन की कार्यवाही प्रस्तावित न करे ।
- 2०९ जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था ।
- 2०९ (ए) पब्लिक की समझदारी बढ़ाने के लिये और खास तौर से लाभ न पाने वाले समुदायों में शैक्षणिक कार्यक्रम की स्थापना एवं विकास इस बारे में कि इस अधिनियम के तहत अपेक्षित अधिकारों का किस प्रकार प्रयोग करना ।
- (बी) खण्ड ए में निर्धारित कार्यक्रम के संगठन एवं विकास में भागीदारी के लिये लोक प्राधिकारीगण को प्रोत्साहित करना तथा आपस में ऐसे कार्यक्रमों का जिम्मा लेना तथा वचन लेना ।
- (सी) लोक प्राधिकारियों द्वारा अपनी गतिविधियों के बारे में ठीक सूचना का सामिक और प्रभावी प्रसारण को प्रोन्नत करना ।
- 2०10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था ।
- 2०10 अनुश्रवण शब्द से आशा है कि किसी भी कार्य के निष्पादन में क्रियात्मक स्थिति में उद्देश्य के अनुरूप संगति बिठाने के लिये जो वरिष्ठ अधिकारी पर्यवेक्षक या अधीक्षक उनकी भावना या मानसिकता प्रबोधन की रहेगी, जिससे वे कार्य निष्पादन करने वाले लोक प्राधिकारी की समस्याओं से अवगत हो और इस अधिनियम की धारण के अनुरूप व्यवहार में जो क्रियात्मक सुधार अपेक्षित है। उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी सिफारिश के तौर पर दिशा-निर्देश दे ।
- अनुश्रवण के लिये केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियाव्ययन पर रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रतिवेदन की प्रतिलिपि समुचित सरकार को अग्रेषित की जावेगी ।
- प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के बारे में निम्नानुसार कथन अभिलिखित किया जावेगा –
- (ए) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किये गये अनुरोधों की संख्या ।
- (बी) ऐसे विनिष्पों की संख्या जहां आवेदकों को अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुँच की हकदारी नहीं थी । इस अधिनियम के उपबंध जिसके अधीन ये विनिष्चय किये गये और ऐसे उपबंधों पर कितनी बार सहायता मांगी गई, उनकी संख्या ।
- (सी) उन अपीलों की संख्या जो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को पुनर्विलोकन के लिये प्रेषित की गई, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के परिणाम ।
- (डी) इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की विषिष्टियाँ ।
- (ई) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा वसूली गई प्रभारों की रकम
- (एफ) अन्य तथ्य जो इस अधिनियम के आषय हो और क्रियाव्ययन के लिये लोक प्राधिकारियों के द्वारा किये गये प्रयत्न को संकेत करते हो ।
- (जी) सुधार के लिये अनुषंसाएँ जिसमें सम्मिलित है लोक प्राधिकारियों के बारे में अनुषंसाएँ, विकास, उन्नति, सुधार, आधुनिकीकरण आदि के विषय में ।
- 2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालय के पते (कृपया पते को जनपदवार वर्गीकरण करें)

2ण11 न्यू कलेक्टेड भवन, आदिम जाति कल्याण विभाग, नीमच जिला-नीमच ।

- 1 बालक उत्कृष्टता संस्थान, नीमच
 - 2 कन्या उत्कृष्टता संस्थान, नीमच
 - 3 बालक छात्रावास, मनासा
 - 4 बालक छात्रावास, जावद
 - 5 कन्या छात्रावास, मनासा
 - 6 कन्या छात्रावास, जावद
 - 7 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, सिंगोली
 - 8 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, रामपुरा
 - 9 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, मोरवन
 - 10 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, डीकेन
 - 11 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, कुण्डला
 - 12 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, चीताखेडा
 - 13 प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास, रामपुरा
 - 14 प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास, सिंगोली
 - 15 विमुक्त जाति बालक छात्रावास, नीमच
 - 16 विमुक्त जाति बालक आश्रम, बोरदियाकलां
 - 17 अजा. बालक आश्रम, कुकडेश्वर
 - 18 अजा. कन्या आश्रम, कुकडेश्वर
 - 19 अजा. कन्या आश्रम, आंत्री
 - 20 अजा. कन्या आश्रम, चीताखेडा
 - 21 अजा. पो.मै. बालक छात्रावास, नीमच
 - 22 अजा. पो.मै. बालक छात्रावास, रामपुरा
 - 23 अजा. पो.मै. बालक छात्रावास, जावद
 - 24 अजा. पो.मै. कन्या छात्रावास, नीमच
 - 25 अजजा. बालक छात्रावास, जावद
 - 26 अजजा. कन्या छात्रावास, रतनगढ
 - 27 अजजा. बालक आश्रम, धाकडखेडी
 - 28 अजजा. बालक छात्रावास, डीकेन
 - 29 अजजा. बालक छात्रावास, टामोटी
 - 30 अजजा. बालक छात्रावास, कुकडेश्वर
 - 31 अजजा. कन्या छात्रावास, कुकडेश्वर
- 2.12 कार्यालय के खुलने का समय : **10.30 प्रातः**
कार्यालय के बंद होने का समय : **5.30 सायं**

3ण1 कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराए।

पद का नाम	जिला संयोजक
-----------	-------------

शक्तियों	प्रशासकीय	<ol style="list-style-type: none"> 1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यात्राभत्ता अग्रिम, 2. खाद्यान्न अग्रिम, 3. त्यौहार अग्रिम, 4. सायकल क्रय अग्रिम, 5. वेतन अग्रिम, 6. जीपीएफ/डीपीएफ अग्रिम एवं समस्त प्रकार के अग्रिमों की स्वीकृति । 7. अजा./अजजा. राहत योजना 8. विद्यार्थी कल्याण
	वित्तीय	<ol style="list-style-type: none"> 1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को डीपीएफ/जीपीएफ/पार्टफायनल स्वीकृति । 2. मृत शासकीय कर्मचारियों को अनुग्रह भुगतान राशि । 3. टेलीफोन उपकरणों की मरम्मत । 4. लघु निर्माण कार्य । 5. गाडी मरम्मत/टायर ट्यूब खरीदी । 6. डुप्लीकेटिंग/मुद्रलेखन यंत्रों की मरम्मत । 7. फर्नीचर मरम्मत । 8. कम्प्यूटर स्टेसनरी क्रय । 9. वर्दी क्रय । 10. पेट्रोल आईल क्रय । 11. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों मजदूरी भुगतान । 12. भवन किराया । 13. शासकीय क्रय पर विक्रय कर भुगतान । 14. अजा./अजजा. राहत योजना 15. विद्यार्थी कल्याण
	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. आदिवासी उपयोजना एवं विशेष घटक योजना के कार्यों में कलेक्टर के सहायक के रूप में कार्य सम्पादन करना ।
कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं राशि का निर्धारण । 2. छात्रावास/आश्रमों के प्रवेश/रिक्त सीट का समायोजन । 3. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण । 4. निर्माण कार्य । 5. विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार । 6. अजा./अजजा. के प्रकरणों का निराकरण । 7. अजा./अजजा. को निःशुल्क कानूनी सहायता/षोषण से मुक्त कराना 8. अजा./अजजा. को विभिन्न गतिविधियों में रोजगार उपलब्ध कराना । 9. विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करना । 10. कर्मचारियों की पदक्रम सूची/गोपनीय प्रतिवेदन का संधारण । 11. विभागीय जांच/पेंशन प्रकरणों का निराकरण । 12. आडिट रिपोर्ट/रिक्त पदों की पूर्ति करना । 13. जिले में संचालित गतिविधियों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना । 14. भौतिक सत्यापन/प्राप्त आवंटन पर नियंत्रण । 	

	<p>15. जनषिकायतो का निराकरण । 16. माह में 12 दिन भ्रमण, 8 रात्रि विश्राम संचालित योजनाओं पर विशेष ध्यान देना । 17. जिला संयोजक जिले में क्रियावित समस्त विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल क्रियांवयन हेतु उत्तरदाई होंगे तथा जिले में कार्यरत अमले पर नियंत्रण रखना । 18. समस्त योजनाओं का अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करना तथा परामर्षदात्री समिति का गठन तथा बैठक आयोजित करना ।</p>	
पद का नाम	क्षेत्र संयोजक	
शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त छात्रवृत्ति/षिष्यवृत्ति वितरण एवं इससे संबंधित समस्त कार्य । 2. जिला कार्यालय में आहरण संवितरण संबंधी कार्य । 3. अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले में आदिवासी उपयोजनाओं का कार्य तथा आदिवासी बाहुल्य जिले में अनुसूचित जाति की समस्त योजनाओं की क्रियांवयन का कार्य । 4. जाति प्रमाण पत्र संबंधी कार्य । 5. निःशुल्क पाठ्यपुस्तको का वितरण ।
कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला संयोजक के मार्गदर्शन में संचालित समस्त गतिविधियों का क्रियांवयन की जिम्मेदारी । 2. जिलाधिकारियों को विभागीय गतिविधियों के संचालन/क्रियांवयन एवं अनुश्रवण में सहायता देना । 3. समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति/छात्रावास षिष्यवृत्ति का वितरण । 4. छात्रावास/आश्रम स्कूल एवं छात्रगृह का वर्ष में एकबार निरीक्षण । 5. विद्यार्थी कल्याण/कन्या साक्षरता योजना एवं अन्य योजनाओं का क्रियांवयन । 6. माह में 10 दिन भ्रमण एवं 8 रात्रि विश्राम । 	
पद का नाम	कनिष्ठ लेखाधिकारी	
शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. छात्रवृत्ति/षिष्यवृत्ति स्वीकृति संबंधी कार्य एवं लेखा का संधारण । 2. आडिट कराना एवं आडिट रिपोर्ट तैयार महालेखाकार को भेजना । 3. केषबुक का सत्यापन । 4. वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाने वाली समस्त जानकारी तैयार करना । 5. लेखाओं का समायोजन कराना । 	
पद का नाम	छात्रावास/आश्रम अधीक्षक/अधीक्षिका	
शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. आश्रम/छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका आश्रम/छात्रावास के सुचारु संचालन के उत्तरदायी होंगे । 2. आश्रम/छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका प्रतिदिन 1 घण्टा शाला में अध्यापन कार्य करेंगे तथा संध्या के समय 2 घण्टे अध्यापन का कार्य करेंगे ।

कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. विकासखण्ड के अधीक्षक/अधीक्षिका क्षेत्र संयोजक के नियंत्रण में कार्य करेंगे । 2. अधीक्षक/अधीक्षिका विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शन/दार्शनिक एवं मित्र के रूप में कार्य करेंगे । 3. शिष्यवृत्ति का हिसाब रखना तथा भोजनालय का उचित प्रबंध करना । 4. रोकड पंजी, खाद्य सामग्री स्टॉक पंजी में प्रतिदिन का हिसाब रखना । 5. समस्त पंजियों का संधारण/समयचक्र तैयार करना । 6. विद्यार्थियों से निकट संबंध बनाये रखना जिससे की उनकी समस्याओं को सुनकर हल करना । 7. कमजोर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना । 8. विद्यार्थियों से व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना । 9. खेलकूद गतिविधियों में नेतृत्व के गुण जाग्रत करना । 10. आश्रम/छात्रावास भवन की सफाई का प्रबंध करना । 11. अधीक्षक छात्रावास/आश्रम के संचालन के लिये शिष्यवृत्ति का समय पर भुगतान/विद्यार्थियों के आहरण/आवास का प्रबंध करना तथा अनुषासन बनाये रखने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।
-----------	---

पद का नाम	लेखापाल	
शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभागांतर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों के वेतन देयक तैयार कर कोषालय से स्वीकृत कराकर संबंधित कर्मचारियों को भुगतान करवाना । 2. यात्रा देयक, नेमेत्तिक व्यय देयक, मेडिकल, त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम आदि के देयक तैयार कर कोषालय से स्वीकृत कराकर संबंधित कर्मचारियों को भुगतान करवाना 3. केषबुक पंजी का संधारण कर सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाना । 4. चेक पंजी, बिल रजिस्टर आदि पंजियों का संधारण करना । 5. मासिक व्यय पत्रक तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजना । 6. बजट संबंधी जानकारी एवं आय-व्यय पत्रक तैयार करना साथ लेखा से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित करना समस्त कर्मचारियों का प्रतिमाह वेतन पर्ची प्रदाय करना । 	
पद का नाम	सहायक ग्रेड-2	
शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. पिछडा वर्ग पो.मै. छात्रवृत्ति एवं राज्य छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी कर छात्रवृत्ति के चेक वितरण करवाना एवं छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त अभिलेखों का संधारण करना तथा महालेखाकार को समायोजना करवाना । 2. योजना शाखा से संबंधित समस्त कार्य जैसे अत्या.निवा.अधि. के तहत अजा./अजजा. के हितग्राहियों को पात्रतानुसार राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृत कराना तथा राशि का भुगतान कराना । विभागीय निर्माण कार्य करवाना । अजा. बस्ती में एकबत्ती कनेक्शन/मजरो/टोलो का विद्युतीकरण/पंपो का उर्जीकरण/नाली खरंजा निर्माण कराना । पंचायत पुरस्कार, अंतर्जातीय विवाह, सौभाग्यवती योजना आदि योजनाओं का क्रियांवयन के लिये नस्ती प्रस्तुत करना तथा समस्त अभिलेख एवं पंजियों का संधारण करना । 	

पद का नाम	सहायक ग्रेड-3	
शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none">1. स्थापना शाखा / स्टोर शाखा से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करना ।2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पो.मै. एवं राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृत कर चेक द्वारा वितरण करवाना तथा अभिलेखों का संधारण करना एवं महालेखाकार को समायोजन करवाना ।3. छात्रावास शाखा से संबंधित समस्त कार्य एवं लेखा सहायक के रूप में कार्य करना ।	

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम :- पुस्तक	अभिलेख का प्रकार
	<ol style="list-style-type: none">1. मुलभूत नियम2. सिविल सेवा आचरण नियम3. पेंषन नियम4. न्यायालयीन प्रकरण नियम5. विभागीय जॉच/निलंबन6. अवकाष नियम7. पदोन्नति नियम8. वेतन निर्धारण नियम9. वेतनवृद्धि नियम10. अग्रिम वेतनवृद्धि नियम11. वेतन के अलावा भत्ते नियम12. सामान्य भविष्य निधि नियम13. भण्डार क्रय नियम14. क्रमोन्नति योजना नियम15. स्थानांतर नियम16. कार्यालय सूचना पंजी17. फाईल मुमेंट पंजी18. आकस्मिक अवकाष पंजी19. पेंषन प्रकरण पंजी20. न्यायालयीन पंजी21. अनुकंपा नियुक्ति पंजी22. रोस्टरपंजी23. निरीक्षण पंजी24. गोपनीय प्रतिवेदन पंजी25. बैठक संबंधी पंजी26. परामर्षदात्री समिति पंजी27. स्वीकृत, भरे, पद पंजी28. विधानसभा पंजी29. आवक-जावक पंजी30. स्टॉम्प टिकट पंजी31. शिकायत पंजी32. स्टे. स्टाक पंजी/वितरण33. सामग्री स्टॉक/वितरण34. वाहन पंजी35. दुरभाष पंजी36. डेड स्टॉक पंजी37. पुस्तको की पंजी38. अस्वच्छ धंधा छात्रवृति (शासन के आदेश वर्ष 1992-93)39. मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (शासन के आदेश

वर्ष 1972)

40. राज्य छात्रवृत्ति योजना (शासन के आदेश वर्ष 1972)
41. कन्या अजा./अजजा. प्रोत्साहन योजना (शासन के आदेश वर्ष 1992-94)
42. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की शुल्क की प्रतिपूर्ति (शासन के आदेश क्र. /एफ/12/24/1987/25 दिनांक 10.5.88)
43. प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (शासन के आदेश वर्ष 1984-85)
44. छात्रवृत्ति प्रस्ताव स्वीकृति पंजी
45. चेक रजिस्टर पंजी
46. रिफण्ड राषि पंजी
47. समायोजन नस्ती
48. आवंटन पंजी
49. विद्यार्थी कल्याण योजना (शासन के आदेश वर्ष 1984)
50. मेधावी पुरस्कार योजना (डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 1990-91)
51. पब्लिक स्कूल में प्रवेश योजना (शासन के आदेश वर्ष 2000-01)
52. दिल्ली में उच्च अध्ययन हेतु छात्रावास सुविधा (शासन के आदेश वर्ष 2001-02)
53. छात्रावास एवं आश्रम का संचालन (शासन के आदेश वर्ष 1966-67)
54. सिविल सेवा प्रोत्साहन राषि (शासन के आदेश वर्ष 2003-04)
55. पीईटी/पीएमटी पुस्तको का प्रदाय
56. जिला स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन (शासन के आदेश क्र. /एफ/12/11/2001/25/4/6.7.2001)
57. विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन वर्ष 2004-05
58. छात्रगृह योजना (शासन के आदेश क्र. /एफ/12/41/2/25/6.10.1981)
59. निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना 2004-05
60. षिष्यवृत्ति चेक एवं वितरण
61. आवंटन पंजी
62. स्क्रोल पंजी
63. चालान पंजी
64. अजा./अजजा. राहत योजना 1979
65. म.प्र.अजा./अजजा. अत्या.निवा.अधि. 1989
66. कन्या सौभाग्यवती योजना 2004-5
67. दाई प्रोत्साहन योजना

68. विधि स्नातको को आर्थिक सहायता
69. अजा. बस्ती सघन विकास 31 मई 1989
70. अस्वच्छ धंधो का व्यवसायीकरण 12.1.83
71. अनाबद्ध राषि
72. छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण
73. छात्रावास/आश्रम भवनो का उन्नयन
74. अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियम 1978
75. अजा. सामुहिक विवाह 1988
76. बाछडा बेडिया सजातीय विवाह 1984
77. पंचायत पुरस्कार 1985
78. सद्भावना षिविरो का आयोजन 1997-98
79. जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति की पंजी
80. जिला स्तरीय सतर्कता मानिटरिंग समिति की पंजी
81. अत्या.निवा.अधि. अंतर्गत प्राप्त प्रकरणो कीपंजी
82. सिटीजन चार्टर सूचना का अधिकार की पंजी
83. विद्युतीकरण पंजी
84. आवंटन व्यय पंजी
85. केषबुक
86. चेक रजिस्टर
87. बिल रजिस्टर
88. बैंक ड्राफ्ट
89. यात्रा अग्रिम
90. त्यौहार अग्रिम
91. अनाज अग्रिम
92. चिकित्सा पंजी
93. अस्थाई/पार्टफायनल
94. नेमेत्तिक देयक पंजी
95. आवंटन पंजी
96. वेतन विवरण पंजी

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :-

1. मुलभूत नियम :- शासकीय कर्मचारियो की भर्ती प्रक्रिया, सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेखो का संधारण
2. सिविल सेवा आचरण नियम :- कदाचरण के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना ।
3. पेंषन नियम :- पेंषन प्रकरणो का निराकरण ।
4. न्यायालयीन प्रकरण नियम :- वादोत्तर प्रस्तुत करना तथा निराकरण करवाना ।
5. विभागीय जॉच/निलंबन :- विभागीय जांच का समय पर निराकरण करना ।
6. अवकाष नियम :- पात्रतानुसार अवकाष स्वीकृत करना ।
7. पदोन्नति नियम :- रिक्त पदो पर पात्रतनुसार पदोन्नति की कार्यवाही करना ।
8. वेतन निर्धारण नियम :- शासन द्वारा स्वीकृत वेतन का निर्धारण करना ।
9. वेतनवृद्धि नियम :- नियमित वेतनवृद्धि स्वीकृत करना ।
10. अग्रिम वेतनवृद्धि नियम :- डिग्रीधारी/परिवार नियोजन पात्रतानुसार अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करना ।
11. वेतन के अलावा भत्ते नियम :- शासन द्वारा स्वीकृत वेतनभत्ते का भुगतान करना ।

12. सामान्य भविष्य निधि नियम :- जीपीएफ/डीपीएफ से पात्रतानुसार अग्रिम/पार्टफायनल स्वीकृत करना
13. भण्डार क्रय नियम :- भण्डार क्रय नियमानुसार सामग्री क्रय करना ।
14. क्रमोन्नति योजना नियम :- पात्र कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करना ।
15. स्थानांतर नियम :- समय-समय पर जारी स्थानांतर निती अनुसार कार्यवाही करना ।
16. अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति :- अस्वच्छ धंधे में लगे बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिये जिनके माता पिता परम्परागत ढंग से शुष्क शौचालयों की मेला सफाई के कार्य मरे जानवरो का चमडा निकालने/छिलने/पकाने का कार्य करते है, के छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक का यह छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
17. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :- कक्षा 11 से उच्च स्तर महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को पो. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के छात्रवृत्ति का भुगतान बैंको के माध्यम से किया जाता है।
18. राज्य छात्रवृत्ति योजना :- अजा./अजजा. के कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है जिसमें आय का बंधन नहीं है। भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1981-82 से संचालित योजना पिछडा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है।
19. कन्या अजा./अजजा. प्रोत्साहन योजना :- ऐसी कन्या जो अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर होने से आगे पढाई न कर पाने से शासन निर्देशानुसार उनके शैक्षणिक उत्थान हेतु उक्त योजना से जो बोर्ड की परीक्षा कक्षा 5, 8 व 10 उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाती है।
20. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की शुल्क की प्रतिपूर्ति :- इस योजना में अजा. वर्ग के छात्र/छात्राओ को जो मा.षि.म. द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होते है। उनके परीक्षा शुल्क की विभाग द्वारा जाति प्रमाणित व सत्यापन पश्चात मा0षि0म0 को शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
21. प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना :- योजनांतर्गत जो छात्र/छात्रा कक्षा 5, 8, 10 उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्र/छात्राओ को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने वाले को प्रावीण्य छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।
22. विद्यार्थी कल्याण योजना :- योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अजा./अजजा./विजा. व पिछडा वर्ग विद्यार्थियों की विषिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहायता देना है। जिससे अध्यापन मे किसी प्रकार की रुकावत न हो ।
23. मेधावी पुरस्कार योजना :- अजा./अजजा. के मेधावी छात्र/छात्राओ को योग्यता की पहचान करने तथा उनहे उच्च अध्ययन प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिये परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय स्थान उच्चतम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना से लाभांशित किया जाता है। पब्लिक स्कूल में प्रवेश योजना:- अजा. /अजजा. के प्रतिभावान बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के श्रेष्ठ पब्लिक स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की गई है।
24. दिल्ली में उच्च अध्ययन हेतु छात्रावास सुविधा :-अजा./अजजा. के छात्र/छात्राओ हेतु दिल्ली महानगर में उच्च अध्ययनर के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रगृह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
25. छात्रावास एवं आश्रम का संचालन :- छात्र/छात्राओं की प्रवेश स्वीकृति आदेश जारी करना, नाम निरस्त करना, षिष्यवृत्ति की राशि स्वीकृत करना, चेक के माध्यम से षिष्यवृत्ति का भुगतान एवं संस्थाओं में छात्र/छात्राओ को लगने वाली बिस्तर सामग्री/भोजन सामग्री/साज सज्जा पेयजल संबंधी एवं पुस्तकालय की स्थापना संबंधी कार्य के अति. प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य कराया जाता है।
26. सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि :- म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को 20000/- प्रति उम्मीदवार को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल प्रति उम्मीदवार को 40000/- को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है।
27. पीईटी/पीएमटी पुस्तको का प्रदाय :- छात्रावासी छात्र/छात्राओ को इस योजना से पाठ्यपुस्तके प्रदाय की जाती है।

<p>45. पंचायत पुरस्कार 1985 :-अस्पृश्यता निवारण की दिषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आदर्ष ग्राम पंचायत को 5000/- एवं प्रषसा पत्र से प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>46. सद्भावना षिविरो का आयोजन :- अनुसूचित जातियो के प्रति समाज मे फेली अस्पृश्यता की भावना को दूर करने हेतु 2 अक्टूबर या 26 जनवरी को सद्भावना षिविर आयोजित किये जाने का प्रावधान है।</p>	
नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते है।	पता :- जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग दूरभाष क्रमांक :- (07423) 257521 फैक्स क्रमांक :- (07423) 257521 Email : dotwdneemuch@indiatimes.com
नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क ।	ए-4 साईज प्रति पृष्ठ 2 रू. ए-3 साईज प्रति पृष्ठ 4 रू.

5प1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी की परामर्ष/भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

क्र	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था ।
निरंक			

5प2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से/की परामर्ष/भागीदारी को कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

क्र	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था ।
1	निर्माण : अनुसूचित जाति बस्ती सघन विकास योजना निर्माण कार्य की स्वीकृति ।	हाँ	प्रभारी मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक की अनुषंसा ।
2	सामग्री क्रय : छात्रावास/आश्रमों में सामग्री पूर्ति । ^{१६}	हाँ	प्रभारी मंत्री की अनुषंसा

6ण1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं की यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया "अन्य" का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	स्थापना/स्टोर	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुलभूत नियम :- शासकीय कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया। 2. सिविल सेवा आचरण नियम :- कदाचरण के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना। 3. पेंशन नियम :- पेंशन प्रकरणों का निराकरण। 4. न्यायालयीन प्रकरण नियम :- वादोत्तर प्रस्तुत करना तथा निराकरण करवाना। 5. विभागीय जाँच/निलंबन :- विभागीय जांच का समय पर निराकरण करना। 6. अवकाष नियम :- पात्रतानुसार अवकाष स्वीकृत करना। 7. पदोन्नति नियम :- रिक्त पदों पर पात्रतानुसार पदोन्नति की कार्यवाही करना। 8. वेतन निर्धारण नियम :- शासन द्वारा स्वीकृत वेतन का निर्धारण करना। 9. वेतनवृद्धि नियम :- नियमित वेतनवृद्धि स्वीकृत करना। 10. अग्रिम वेतनवृद्धि नियम :- डिग्रीधारी/परिवार नियोजन पात्रतानुसार अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करना। 11. वेतन के अलावा भत्ते नियम :- शासन द्वारा स्वीकृत वेतनभत्ते का भुगतान करना। 12. सामान्य भविष्य निधि नियम :- जीपीएफ/डीपीएफ से पात्रतानुसार अग्रिम/पार्टफायनल स्वीकृत करना। 13. भण्डार क्रय नियम :- भण्डार क्रय नियमानुसार सामग्री क्रय करना। 14. क्रमोन्नति योजना नियम :- पात्र 	स्थानीय बाजार	जिला संयोजक

		<p>कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करना ।</p> <ol style="list-style-type: none">15. स्थानांतर नियम :- समय-समय पर जारी स्थानांतर निती अनुसार कार्यवाही करना ।16. कार्यालय सूचना पंजी17. फाईल मुमेंट पंजी18. आकस्मिक अवकाष पंजी19. पैषन प्रकरण पंजी20. न्यायालयीन पंजी21. अनुकंपा नियुक्ति पंजी22. रोस्टरपंजी23. निरीक्षण पंजी24. गोपनीय प्रतिवेदन पंजी25. बैठक संबंधी पंजी26. परामर्षदात्री समिति पंजी27. स्वीकृत, भरे, पद पंजी28. विधानसभा पंजी29. आवक-जावक पंजी30. स्टॉम्प टिकट पंजी31. षिकायत पंजी32. स्टे. स्टाक पंजी / वितरण33. सामग्री स्टॉक / वितरण34. वाहन पंजी35. दुरभाष पंजी36. डेड स्टॉक पंजी37. पुस्तको की पंजी		
2	छात्रावास	<ol style="list-style-type: none">1. विद्यार्थी कल्याण योजना :- योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अजा./अजजा./विजा. व पिछडा वर्ग विद्यार्थियों की विषिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहायता देना है। जिससे अध्यापन मे किसी प्रकार की रुकावत न हो ।2. मेघावी पुरस्कार योजना :- अजा./अजजा. के मेघावी छात्र/छात्राओ को योग्यता की पहचान करने तथा उनहे उच्च अध्ययन प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिये परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय स्थान उच्चतम प्राप्त	कार्यालय	जिला संयोजक

करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना से लाभांवित किया जाता है।

3. पब्लिक स्कूल में प्रवेश योजना:- अजा. /अजजा. के प्रतिभावान बच्चो को अंग्रेजी माध्यम के श्रेष्ठ पब्लिक स्कूलो में शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की गई है।
4. दिल्ली में उच्च अध्ययन हेतु छात्रावास सुविधा :-अजा. /अजजा. के छात्र/छात्राओ हेतु दिल्ली महानगर में उच्च अध्ययनर के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रगृह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
5. छात्रावास एवं आश्रम का संचालन :- छात्र/छात्राओं की प्रवेश स्वीकृति आदेश जारी करना, नाम निरस्त करना, शिष्यवृति की राशि स्वीकृत करना, चेक के माध्यम से शिष्यवृति का भुगतान एवं संस्थाओं में छात्र/छात्राओ को लगने वाली बिस्तर सामग्री/भोजन सामग्री/साज सज्जा पेयजल संबंधी एवं पुस्तकालय की स्थापना संबंधी कार्य के अति. प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य कराया जाता है।
6. सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि :- म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को 20000/- प्रति उम्मीदवार को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल प्रति उम्मीदवार को 40000/- को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है।
7. पीईटी/पीएमटी पुस्तको का

प्रदाय :- छात्रावासी छात्र/छात्राओ को इस योजना से पाठ्यपुस्तके प्रदाय की जाती है।

8. जिला स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन :-जो छात्र/छात्रा कक्षा 5, 8, 10वी की बोर्ड परीक्षा से 50 प्रतिषत से अधिक उत्तीर्ण होने पर संस्था में प्रवेश लिये जाने का प्रावधान है। जिसमें प्रति छात्र 600/- प्रतिमाह शिष्यवृति एवं निःशुल्क कोचिंग एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।
9. विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन वर्ष 2004-05 :- विकासखण्ड स्तरीय छात्र/छात्राओ को मेरीट के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। प्रवेशित छात्रो को निःशुल्क किताबे, भोजन, प्रकाश, पेयजल की व्यवस्था की जाती है।
10. छात्रगृह योजना :- महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओ को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं छात्र/छात्राओ द्वारा की जाती है। वर्तमान में एक संस्था संचालित है। जिसमें 55 छात्रो को प्रवेश दिया गया है।
11. निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना 2004-05 :- कक्षा 8 वी उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की बालिकाओ जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र में संचालित संस्थाओ में अध्ययन हेतु अपने गांव से शाला में पढने हेतु आती है। उन्हें शासन द्वारा निःशुल्क सायकल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
12. शिष्यवृति चेक एवं वितरण
13. आवंटन पंजी
14. स्क्रोल पंजी
15. चालान पंजी

3	योजना	<ol style="list-style-type: none">1. अजा./अजजा. राहत योजना 1979 :- योजनांतर्गत अजा./अजजा. के गरीब, बीमार, संकटापन्न व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।2. म.प्र.अजा./अजजा. अत्या.निवा. अधि. 1989 :- योजनांतर्गत सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अजा./अजजा. के व्यक्तियों पर अत्याचार, मारपीट, सम्पत्ति की हानी व शारीरिक नुकसान पहुंचाए जाने पर राहत एवं पुर्नवास की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान है।3. कन्या सौभाग्यवती योजना :- योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पालक/परिवार को उनकी विवाह योग्य कन्या के विवाह हेतु 5000/- देने का प्रावधान है।4. दाई प्रोत्साहन योजना :- अनुसूचित जाति की महिलाओ की सफल प्रसूति किये जाने पर प्रति प्रसूति 25/- पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है।5. विधि स्नातको को आर्थिक सहायता :- योजना का मुख्य उद्देश्य अजा वर्ग के विधि स्नातको को उन्हे विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वकालात का व्यवसाय अपनाने हेतु विशेष प्रषिक्षण एप्रेन्टिसषीप के रूप में प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के आर्थिक सहायता से वे अपनी वकालात का व्यवसाय प्रषिक्षण के पश्चात स्थापित कर सकते है।6. अजा. बस्ती सघन विकास :- अजा. बस्तियो में मुलभूत सुविधाएँ जैसे आंतरिक मार्ग निर्माण जलमल निकासी हेतु नाली का निर्माण, पेयजल व्यवस्था,	कार्यालय	जिला संयोजक
---	-------	--	----------	-------------

सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने का प्रावधान है।

7. अस्वच्छ धंधो का व्यवसायीकरण :- योजनांतर्गत अस्वच्छ धंधो में रत व्यक्तियों को गमबूट दास्ताने हाइड्रोलिक कचरा गाडी क्रय एवं शुष्क शौचालय को फलष शौचालय में परिवर्तित करने व ट्रांजित सेट का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
- 8- अनाबद्ध राषि :- योजनांतर्गत किसी भी अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुपुरक राषि प्रदाय किये जाने छात्रावास व आश्रमों में पेयजल व्यवस्था एवं कन्या छात्रावासों में अहाता निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
9. छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण :- अजा./अजजा./विजा. के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास/आश्रम भवनो का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
10. छात्रावास/आश्रम भवनो का उन्नयन :- योजनांतर्गत छात्रावासो/आश्रमो के उन्नयन हेतु लघु निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है।
11. अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियम 1978 :- अस्पृश्यता उन्मूलन की दिषा में सवर्ण लडके या लडकी द्वारा अनुसूचित जाति के लडके या लडकी से विवाह किये जाने पर प्रोत्साहन राषि 10000/- प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
12. अजा. सामुहिक विवाह 1988 :- अनुसूचित जाति परिवारो के फिजुल खर्चे रोकने के उद्देश से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अजा. वर्ग के परिवारो की विवाह योग्य कन्या के सामुहिक विवाह पर प्रति कन्या

		<p>500/- दिये जाने का प्रावधान है।</p> <p>13. बाछडा बेडिया सजातीय विवाह 1984 :- बाछडा तथा बेडिया जातियों में परंपरागत व्याप्त वैध्यावृत्ति समाप्त करने हेतु इन जातियों के पुरुषों द्वारा वैध्या महिलाओं से सजातीय विवाह कर उठाये गये आदर्ष कदम के फलस्वरूप उन्हें 10000/- से पुरस्कृत एवं सम्मानित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>14. पंचायत पुरस्कार 1985 :-अस्पृश्यता निवारण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आदर्ष ग्राम पंचायत को 5000/- एवं प्रशंसा पत्र से प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>15. सद्भावना षिविरो का आयोजन :- अनुसूचित जातियों के प्रति समाज में फेली अस्पृश्यता की भावना को दूर करने हेतु 2 अक्टूबर या 26 जनवरी को सद्भावना षिविर आयोजित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>16. जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति की पंजी</p> <p>17. जिला स्तरीय सतर्कता मानिट्रिंग समिति की पंजी</p> <p>18. अत्या.निवा.अधि. अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की पंजी</p> <p>19. सिटीजन चार्टर सूचना का अधिकार की पंजी</p> <p>20. विद्युतीकरण पंजी</p> <p>21. आवंटन व्यय पंजी</p>		
4	छात्रवृत्ति	<p>1. अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति :- अस्वच्छ धंधे में लगे बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिये जिनके माता पिता परम्परागत ढंग से शुष्क शौचालयों की मेला सफाई के कार्य मरे जानवरो का चमडा निकालने/छिलने /पकाने का कार्य करते है, के छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से</p>	कार्यालय	जिला संयोजक

	<p>10 तक का यह छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।</p> <p>2. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :- कक्षा 11 से उच्च स्तर महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को पो. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के छात्रवृत्ति का भुगतान बैंको के माध्यम से किया जाता है।</p> <p>3. राज्य छात्रवृत्ति योजना :- अजा. /अजजा. के कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है जिसमें आय का बंधन नहीं है। भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1981-82 से संचालित योजना पिछडा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है।</p> <p>4. कन्या अजा./अजजा. प्रोत्साहन योजना :- ऐसी कन्या जो अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर होने से आगे पढाई न कर पाने से शासन निर्देशानुसार उनके शैक्षणिक उत्थान हेतु उक्त योजना से जो बोर्ड की परीक्षा कक्षा 5, 8 व 10 उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाती है।</p> <p>5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की शुल्क की प्रतिपूर्ति :- इस योजना में अजा. वर्ग के छात्र/छात्राओ को जो मा.षि. म. द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होते है। उनके परीक्षा शुल्क की विभाग द्वारा जाति प्रमाणित व सत्यापन पञ्चात मा0षि0म0 को शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।</p> <p>6. प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना :- योजनांतर्गत जो छात्र/छात्रा</p>	
--	--	--

		<p>कक्षा 5, 8, 10 उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्र/छात्राओ को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने वाले को प्रावीण्य छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. छात्रवृति प्रस्ताव स्वीकृति पंजी 8. चेक रजिस्टर पंजी 9. रिफण्ड राशि पंजी 10. समायोजन नस्ती 11. आवंटन पंजी 		
5	लेखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. केषबुक 2. चेक रजिस्टर 3. बिल रजिस्टर 4. बैंक ड्राफ्ट 5. यात्रा अग्रिम 6. त्योहार अग्रिम 7. अनाज अग्रिम 8. चिकित्सा पंजी 9. अस्थाई/पार्टफायनल 10. नेमेत्तिक देयक पंजी 11. आवंटन पंजी 12. वेतन विवरण पंजी 		
6	अधीक्षकीय के अधिनस्थ पंजीया	<ol style="list-style-type: none"> 1. उपस्थिति पंजी :- छात्रावास उपस्थिति 2. स्वास्थ्यपरीक्षण पंजी :- छात्रावास में निवासरत छात्रो का स्वास्थ्य परीक्षण । 3. षिष्यवृति पंजी :- षिष्यवृति का हिसाब रखा जाना । 4. डेड स्टोक पंजी :- स्थाई सामग्री का इंड्राज । 5. निरीक्षण पंजी :- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का इंड्राज । 6. दैनिक क्रय पंजी :- प्रतिदिन क्रय की जाने वाली सामग्री क इंड्राज जैसे सब्जी, दूध आदि । 7. आकस्मिक व्यय पंजी :- जिसमें व्यय व अन्य सामग्री क्रय की जाने का इंड्राज । 8. पुस्तकालय पंजी :- पुस्तको का इंड्राज 9. सामग्री प्रदाय पंजी :- छात्रो को प्रदाय की जाने वाली 	संबंधित छात्रावास में अधीक्षक के पास ।	जिला संयोजक

		<p>सामग्री पंजी ।</p> <p>10. मेस समिति पंजी :- मेस संचालन हेतु गठित समिति की कार्यवाही का इद्राज ।</p> <p>11. समाचार पत्र पत्रिका पंजी :- संस्था में क्रय किये जाने वाले समाचार पत्र पत्रिका का इद्राज</p>	
--	--	--	--

7ण1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदो, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें ।

1-

- संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :- जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति
- संबद्ध संस्था का प्रकार :- समिति
- संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय :- अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु समिति का गठन किया गया ।
- संबद्ध संस्था की भूमिका :- परामर्षदात्री एवं कार्यकारिणी
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :- 14 सदस्य
- मुख्य अधिकारी का नाम :- कलेक्टर
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते :- न्यू कलेक्ट्रेड भवन, कलेक्टर कार्यालय, नीमच
- बैठक की आवृत्ति :- प्रतिमाह
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? नहीं
- क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ? हाँ
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें । -

2-

- संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :- जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिट्रिंग समिति
- संबद्ध संस्था का प्रकार :- समिति
- संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय :- म.प्र. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई राहत, पुलिस में पंजीबद्ध प्रकरणो, न्यायालय में प्रस्तुत चालान एवं अभियोजना की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया ।
- संबद्ध संस्था की भूमिका :- परामर्षदात्री एवं कार्यकारिणी
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :- 19 सदस्य
- मुख्य अधिकारी का नाम :- कलेक्टर
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते :- न्यू कलेक्ट्रेड भवन, कलेक्टर कार्यालय, नीमच
- बैठक की आवृत्ति :- त्रैमासिक
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? नहीं
- क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ? हाँ
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें । -

3-

- संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :- पिछडा वर्ग सलाहकार समिति
- संबद्ध संस्था का प्रकार :- समिति

- संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय :- पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु समिति का गठन किया गया ।
- संबद्ध संस्था की भूमिका :- परामर्षदात्री एवं कार्यकारिणी
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :- 14 सदस्य
- मुख्य अधिकारी का नाम :- कलेक्टर
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते :- न्यू कलेक्ट्रेड भवन, कलेक्टर कार्यालय, नीमच
- बैठक की आवृत्ति :- त्रैमासिक
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? नहीं
- क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ? हाँ
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें । —

8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलैट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें ।

लोक प्राधिकरण का नाम : आदिम जाति कल्याण विभाग, नीमच

सहायक लोक सूचना अधिकारी : (कार्यालय स्तर)

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी.एल. वर्मा	क्षेत्र संयोजक	07423 07422	257521	223869	257521	—	न्यू कलेक्ट्रेड भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

लोक सूचना अधिकारी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1		जिला संयोजक	07423	257521		257521		न्यू कलेक्ट्रेड भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

विभागीय अपीलैट अथोरिटी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस.बी. सिंह	कलेक्टर	07423	223063	220083	228500	sbsdmmh@rediffmail.com	न्यू कलेक्ट्रेड भवन, नीमच

सहायक लोक सूचना अधिकारी : (पो.मै. छात्रावास)

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री अमृतराम मालवीय	उ.श्रे.पि.	07421	—	238897	—	—	पो.मै.बालक छात्रा,रामपुरा
2	श्री रमेशचंद्र पंवार	उ.श्रे.पि.	07423	—	232956	—	—	पो.मै.बालक छात्रा.नीमच
3	श्री शोभाराम सूर्यवंशी	सहा. शिक्षक	07420	—	232141	—	—	पो.मै.बालक छात्रा.जावद
4	श्रीमति भगवती फतनानी	परिचारिका	07423	—	222471	—	—	पो.मै.कन्या छात्रा.नीमच

सहायक लोक सूचना अधिकारी : (प्री.मै. छात्रावास)

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री मेवालाल छपरा	सहा. शिक्षक	—	—	94254 41422	—	—	बा.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच
2	कु. सुरेखा अम्ब	सहा. शिक्षक	07423	—	210903	—	—	क.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच
3	श्री जगदीष कोडावत	उ.श्रे.पि.	—	—	98266 03723	—	—	विजा.छात्रा. नीमच
4	श्रीमति रेखा लोक्स	सहा. शिक्षक	07423	—	210960	—	—	कन्या आश्रम चीताखेडा
5		सहा. शिक्षक	—	—		—	—	बा.छात्रा. चीताखेडा
6	श्रीमति शांति बेरवाल	सहा. शिक्षक	07422	—	242948	—	—	बा. आश्रम बोरदियाकल
7	श्रीमति माग्रेट मगनजी	सहा. शिक्षक	07423	—	223194	—	—	क.उत्कृष्ट छात्रा.जावद
8	श्री शोभाराम सूर्यवंशी	सहा. शिक्षक	07420	—	232141	—	—	बा.उत्कृष्ट छात्रा.जावद
9	श्री कन्हैयालाल चन्देल	सहा. शिक्षक	07421	—	247270	—	—	बा.छात्रावास मोरवन
10	श्री कन्हैयालाल तुमरिया	सहा. शिक्षक	07420	—	254908	—	—	बा.छात्रावास डीकेन
11	श्रीमति हेमलता बोराना	सहा. शिक्षक	07420	—	232707	—	—	कन्या छात्रा. सिंगोली
12	श्री जगन्नाथ बामनिया	सहा. शिक्षक	07420	—	251047	—	—	बालक छात्रा सिंगोली
13	श्री बच्चुसिंह तोमर	सहा. शिक्षक	07421	—	223343	—	—	बा.उत्कृष्ट मनासा
14	श्रीमति शषीकांता खरे	उ.श्रे.पि.	07421	—	244128	—	—	क.छात्रा. मनासा
15	श्रीमति कुर्दला एक्का	सहा. शिक्षक	07421	—	231632	—	—	आदि.कन्या छात्रा कुकडेष्वर
16	श्री रामप्रसाद धनोतिया	सहा. शिक्षक	07421	—	231334	—	—	बा.आश्रम कुकडेष्वर
17	श्रीमति हेमलता टांकवाल	सहा. शिक्षक	07421	—	231504	—	—	क.आश्रम कुकडेष्वर
18	श्री सुरज पटेल	सहा. शिक्षक	—	—	—	—	—	बा.छात्रा. कुण्डला
19	श्री अमरसिंह पंवार	सहा. शिक्षक	07421	—	247868	—	—	बा.आश्रम धाकडखेडी
20	श्रीमति शकुंतला शर्मा	सहा. शिक्षक	07421	—	239003	—	—	क.छात्रा. रामपुरा

21	श्री कचरुलाल बिलोदिया	सहा. शिक्षक	07421	—	231509	—	—	आदि.बालक छात्रावास कुकडेघर
22	श्रीमति विद्यावती परमार	उ.श्रे.षि.	07421	—	212332	—	—	क.आश्रम आंतीमाता

लोक सूचना अधिकारी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी.एल. वर्मा	क्षेत्र संयोजक	07423 07422	257521	223869	257521	—	न्यू कलेक्टेट भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

विभागीय अपीलिय अथोरिटी :

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1		जिला संयोजक	07423	257521		257521		न्यू कलेक्टेट भवन,आ.जा. क.वि.नीमच

- 9ण1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? (सचिवालय मेनुअल और बिजीनेस मेनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है?
नस्ती संबंधित शाखा प्रभारी के द्वारा उचित माध्यम से जिला संयोजक को प्रस्तुत की जाती है। छात्रवृत्ति, छात्रावास हेतु क्षेत्र संयोजक के माध्यम से तथा वित्तीय नस्तीया कनिष्ठ लेखाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है ।
- 9ण2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है?
विशेष निर्णय कलेक्टर के माध्यम से विभाग प्रमुख को भेजे जाते है।
- 9ण3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है?
जिला पंचायत की बैठक तथा जनसमया निवारण शिविर के माध्यम तथा संबंधित विभागीय ऐजेंसी ।
- 9ण4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?
जिला स्तर पर कलेक्टर शासन स्तर पर विभाग प्रमुख ।
- 9ण5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी ।
कलेक्टर एवं विभाग प्रमुख ।
- 9ण6 मुख्य विषय जिस परलोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें ।

क्र.सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	छात्रावास खोलने अथवा सीट वृद्धि हेतु
दिषा-निर्देश (यदि हो तो)	छात्रावास अधिनियम
निर्णय लेने की प्रक्रिया	जिले स्तर पर कलेक्टर तथा विभाग स्तर पर कलेक्टर की अनुषंसा पर विभाग प्रमुख
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	क्षेत्र संयोजक / जिला संयोजक के माध्यम से कलेक्टर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	निरंक
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	निरंक

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपद वार दें ।

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
नीमच जनपद								
1		जिला संयोजक	07423	257521	229743	257521	msrivastavanmh@indiatimes.com	न्यू कलेक्टेट भवन,आ.जा. क.वि.नीमच
2	श्री बी.एल. वर्मा	क्षेत्र संयोजक	07423 07422	257521	223869	257521	—	—”—
3	श्री व्ही.एस. सिंगाड	कनिष्ठ लेखधिका री	07423	257521	—	257521	—	—”—
5	श्री बापुलाल फुहार	लेखापाल	07423	257521	—	257521	—	—”—
6							—	—”—
7	श्री वसंतराव जमाले	UDT	07423	257521	—	257521	—	—”—
8	श्रीमति पद्मा जाधव	LDT	07423	257521	—	257521	—	—”—
9	श्री प्रकाश उज्जैनिया	LDT	07423	257521	98934 49409	257521	—	—”—
10	श्री अषोक तौर	LDT	07423	257521	210798	257521	—	—”—
11	श्री अषोक शर्मा	LDT	07423	257521	—	257521	—	—”—
12	श्री रमेशचंद्र पंवार	उ.श्रे.षि.	07423	—	232956	—	—	पो.मै.बालक छात्रा.नीमच
13	श्रीमति भगवती फतनानी	परिचारिका	07423	—	222471	—	—	पो.मै.कन्या छात्रा.नीमच
14	श्री मेवालाल छपरा	सहा. शिक्षक	—	—	94254 41422	—	—	बा.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच
15	कु. सुरेखा अम्ब	सहा. शिक्षक	07423	—	210903	—	—	क.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच
16	श्री जगदीष कोडावत	उ.श्रे.षि.	—	—	98266 03723	—	—	विजा.छात्रा. नीमच
17	श्रीमति रेखा लोक्स	सहा. शिक्षक	07423	—	210960	—	—	कन्या आश्रम चीताखेडा
18	श्रीमति शांति बेरवाल	सहा. शिक्षक	07422	—	242948	—	—	बा. आश्रम बोरदियाकल
जावद जनपद								
1	श्रीमति माग्रेट मगनजी	सहा. शिक्षक	07423	—	223194	—	—	क.उत्कृष्ट छात्रा.जावद

2	श्री शोभाराम सूर्यवंशी	सहा. पिक्षक	07420	—	232141	—	—	बा.उत्कृष्ट छात्रा.जावद
3	श्री कन्हैयालाल चन्देल	सहा. पिक्षक	07421	—	247270	—	—	बा.छात्रावास मोरवन
4	श्री कन्हैयालाल दुमरिया	सहा. पिक्षक	07420	—	254908	—	—	बा.छात्रावास डीकेन
5	श्रीमति हेमलता बोराना	सहा. पिक्षक	07420	—	232707	—	—	कन्या छात्रा. सिंगोली
6	श्री जगन्नाथ बामनिया	सहा. पिक्षक	07420	—	251047	—	—	बालक छात्रा सिंगोली
मनासा जनपद								
1	श्री बच्चुसिंह तोमर	सहा. पिक्षक	07421	—	223343	—	—	बा.उत्कृष्ट मनासा
2	श्रीमति शषीकांता खरे	उ.श्रे.पि.	07421	—	244128	—	—	क.छात्रा. मनासा
3	श्रीमति कुर्दला एक्का	सहा. पिक्षक	07421	—	231632	—	—	आदि.कन्या छात्रा कुकडेप्वर
4	श्री रामप्रसाद धनोतिया	सहा. पिक्षक	07421	—	231334	—	—	बा.आश्रम कुकडेप्वर
5	श्रीमति हेमलता टांकवाल	सहा. पिक्षक	07421	—	231504	—	—	क.आश्रम कुकडेप्वर
6	श्री सुरज पटेल	सहा. पिक्षक	—	—	—	—	—	बा.छात्रा. कुण्डला
7	श्री रामप्रसाद धनोतिया	सहा. पिक्षक	07421	—	231334	—	—	बा.आश्रम कुकडेप्वर
8	श्रीमति शकुंतला शर्मा	सहा. पिक्षक	07421	—	239003	—	—	क.छात्रा. रामपुरा
9	श्री कचरुलाल बिलोदिया	सहा. पिक्षक	07421	—	231509	—	—	आदि.बालक छात्रावास कुकडेप्वर
10	श्रीमति विद्यावती परमार	उ.श्रे.पि.	07421	—	212332	—	—	क.आश्रम आंत्रीमाता
11	श्री अमृतराम मालवीय	उ.श्रे.पि.	07421	—	238897	—	—	पो.मै.बालक छात्रा,रामपुरा

11.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे ।

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषि क/पारि	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी है।
------	-----	-------	---------------------	--------------------	--

				तोषिक भत्ता	
1		जिला संयोजक	13515	—	पांचवा वेतन आयोग के अद्यतन संशोधन अनुसार
2	श्री बी.एल. वर्मा	क्षेत्र संयोजक	11571	—	-----"-----
3	श्री विजयसिंह सिगांड	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9788	—	-----"-----
5	श्री.बी.एल. फुहार	लेखापाल	9918	—	-----"-----
6		UDT		—	-----"-----
7	श्री वसंतराव जमाले	UDT	9396	—	-----"-----
8	श्रीमति पदम् जाधव	LDT	6867	—	-----"-----
9	श्री अशोक कुमार तौर	LDT	6482	—	-----"-----
10	श्री अशोक कुमार शर्मा	LDT	5960	—	-----"-----
11	श्री प्रकाश उज्जैनिया	LDT	5829	—	-----"-----
12	श्री नंदलाल मुनिया	वाहनचालक	8039	—	-----"-----
13	श्री मनोहरदास बेरागी	भृत्य	6160	—	-----"-----
14	श्री भुवानीषंकर सिनम	—"—	5824	—	-----"-----
15	श्री मो. इसरार खॉन	—"—	5824	—	-----"-----
16	श्री शोभाराम सूर्यवंशी	सहा.पिक्षक	9660	—	-----"-----
17	श्रीमति भगवती फतनानी	परिचारिका	7343	—	-----"-----
18	श्री कन्हैयालाल चन्देल	सहा.पिक्षक	8798	—	-----"-----
19	श्री कन्हैयालाल ठुमरिया	—"—	7820	—	-----"-----
21	श्रीमति रेखा लोक्स	—"—	7990	—	-----"-----
22	श्रीमति शांति बेरवाल	—"—	8330	—	-----"-----
23	श्री राजेन्द्र रावल	उ.श्रे.पि.	12311	—	-----"-----
24	श्रीमति शकुंतला शर्मा	सहा.पिक्षक	10954	—	-----"-----
25	श्रीमति विद्यावती परमार	उ.श्रे.पि.	11471	—	-----"-----
26	श्री जगन्नाथ बामनिया	सहा.पिक्षक	8970	—	-----"-----
27	श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार	अनुदेशक	8280	—	-----"-----
28	श्री बच्चुसिंह तोमर	सहा.पिक्षक	8330	—	-----"-----
29				—	-----"-----
30	श्रीमति माग्रेट मगनजी	सहा.पिक्षक	11989	—	-----"-----
31	श्रीमति शशीकांता खरे	उ.श्रे.पि.	10285	—	-----"-----
32	श्री आर.पी. धनोतिया	सहा.पिक्षक	8798	—	-----"-----
33	श्री सत्यदेवसिंह जगावत	—"—	11471	—	-----"-----
34	श्री सुरज पटेल	—"—	7820	—	-----"-----
35	श्रीमति शांता जैन	—"—	11471	—	-----"-----
36	श्रीमति हेमलता टांकवाल	सहा.पिक्षक	8700	—	-----"-----
37	श्रीमति कुर्दला एक्का	—"—	8798	—	-----"-----
38	श्री कचरूलाल बिलोदिया	उ.श्रे.पि.	13529	—	-----"-----

39	श्री अमृतराम मालवीय	---	11830	-	-----
40	श्री रमेशचन्द्र पवार	---	11471	-	-----
41	श्रीमति हेमलता बोरान	सहा.पिक्कक	8330	-	-----
42	श्री मेवालाल छपरा	---	8970	-	-----
43	श्री जगदीष कोडावत	उ.श्रे.षि.	11471	-	-----
44	कु. सुरेखा अम्ब	सहा.पिक्कक	8330	-	-----
45	श्री कैलाषचन्द्र	रसोईया	5658	-	-----
46	श्री रामनारायण मालवीय	चौकीदार	5658	-	-----
47	श्री उदयराम गवरिया	---	5210	-	-----
48	श्रीमति सुधीलाबाई	रसोईया	5658	-	-----
49	श्रीमति मानकुंवरबाई	---	5210	-	-----
50	श्री गणपत चौहान (निलंबित)	चौकीदार	2434	-	-----
51	श्री सुरेश नागर	---	5546	-	-----
52	श्रीमति सुमित्रा नागर	रसोईया	5546	-	-----
53	श्रीमति नारायणीबाई	---	4733	-	-----
54	श्री गोतम परिहार	चौकीदार	5658	-	-----
55				-	-----
56	श्रीमति सीताबाई	रसोईया	5658	-	-----
57	श्री शंभुलाल प्रजापत	---	5359	-	-----
58	श्रीमति शांतिबाई शर्मा	---	5210	-	-----
59	श्री जीवनलाल आर्य	चौकीदार	5210	-	-----
60	श्री खेमराज राठौर	---	5658	-	-----
61	श्री गणेश गिरी	भृत्य	6160	-	-----
62	श्री कालुराम मोर्य	रसोईया	5658	-	-----
63	श्री भंवरलाल नकूम	चौकीदार	5546	-	-----
64	श्री विमलाबाई	रसोईया	5546	-	-----
65	श्रीमति द्रोपदीबाई	---	5658	-	-----
66	श्री लक्ष्मण माली	चौकीदार	5558	-	-----
67	श्री गोवर्धनलाल जैन	---	5546	-	-----
68	श्री श्यामलाल शर्मा	रसोईया	5546	-	-----
69	श्रीमति प्रेमबाई	---	5546	-	-----
70	श्रीमति मोतियाबाई	---	5658	-	-----
71	श्री नंदराम डांगी	चौकीदार	5658	-	-----
72	श्रीमति विष्णुकांता व्यास	रसोईया	5658	-	-----
73	श्री उस्मान खॉन	चौकीदार	5658	-	-----
74	श्री मदनलाल बैरागी	---	5658	-	-----
75	श्री जीवनराम मालवीय	---	5546	-	-----
76	श्रीलालुराम गुजरिया	---	5546	-	-----
77	श्रीमति भगवती टांक	रसोईया	5546	-	-----
78	श्री मांगीलाल भील	रसोईया	5546	-	-----
79	श्री पुरुषोत्तम परमार	चौकीदार	5546	-	-----
	श्री भंवरलाल महिवाल	रसोईया	4494	-	-----

श्री रामनिवास जाटव	रसोईया	4399	-	-----"
श्री भरत कमलवा	रसाईया	4437	-	-----"

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिये

12ण1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें की सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दे ।

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
विभाग से संबंधित नहीं ।									

12.2 अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये :

क्र.	योजना का नाम	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में)	कुल व्यय
1	49 / 2225 / 01 / 277 / 0496	101000	101000		94504
2	49 / 2225 / 01 / 277 / 1392 / 41 / 002	400000	400000		400000
3	49 / 2225 / 01 / 277 / 1398	1093000	1093000		1089212
4	49 / 2225 / 01 / 277 / 1474	1204000	1204000		789536
5	49 / 2225 / 01 / 277 / 2882	174000	174000		210786
6	49 / 2225 / 01 / 277 / 6138	423000	423000		424606
7	49 / 2225 / 01 / 277 / 8050 / 42 / 007	800000	800000		800000
8	64 / 2225 / 01 / 277 / 0326	5000	5000		5000
9	64 / 2225 / 01 / 277 / 0495	648000	648000		523698
10	64 / 2225 / 01 / 800 / 1400 / 32	3474000	3474000	—	3474000
11	64 / 2225 / 01 / 277 / 2676 / 42 / 007	1005000	1005000	—	1000000
12	64 / 2225 / 01 / 277 / 803 / 267 6—	1700000	1700000	—	1500000
13	64 / 2225 / 01 / 277 / 2882 / 42 / 007	25000	25000	—	18694
14	64 / 2225 / 01 / 277 / 3839 / 42 / 007	2000	2000		2000

15	64 / 2225 / 01 / 277 / 4047 / 11 / 001	358000	358000		320217
16	64 / 2225 / 01 / 0102 / 4671 / 42 / 007	24000	24000		24000
17	64 / 2225 / 01 / 277 / 4717 / 11 / 001	1821000	1821000		1903497
18	64 / 2225 / 01 / 800 / 4719 / 42 / 007	50000	50000		50000
19	64 / 2225 / 01 / 800 / 5132 / 42 / 007	30000	30000		30000
20	64 / 2225 / 01 / 800 / 5191 / 42 / 007	10000	10000		10000
21	64 / 2225 / 01 / 800 / 5191 / 42 / 007	400000	400000		225000
22	64 / 2225 / 01 / 277 / 5204	463000	463000		421200
	उत्कृष्ट छात्रावास				
23	64 / 2225 / 01 / 277 / 6365 / 42 / 007	100000	100000		37350
24	64 / 2225 / 01 / 0103 / 7562 / 42 / 007	2225000	2225000		828123
25	64 / 2225 / 01 / 800 / 0103 / 7908 / 42 / 007 सौभाग्यवती योजना	200000	200000		160000
26	64 / 2225 / 01 / 800 / 8011 / 42 / 007	90000	90000		80000
27	64 / 2225 / 01 / 277 / 8735 / 42 / 007	50000	50000		50000
28	64 / 2225 / 01 / 277 / 8807 / 32 / 0103	705500	705500		416000
29	64 / 2225 / 01 / 277 / 8807 / 32	1094000	1094000	—	604000
30	64 / 2225 / 01 / 277 / 8807 / 32	175000	175000		175000
31	15 / 2225 / 01 / 277 / 0103 / 0327 / 42 / 007 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	200000	200000		200000
32	15 / 2225 / 01 / 277 / 0495 / 42 / 07	1012000	386905		930906
33	15 / 2225 / 01 / 277 / 2793 / 42 / 007	8000	8000		3800
34	15 / 2225 / 01 / 277 / 3997 / 42 / 007	25000	25000		22000

35	15 / 2225 / 01 / 277 / 4691 / 42 /	333000	333000		333000
36	15 / 2225 / 01 / 277 / 0103 / 47 17	2225000	2225000		2129579
37	15 / 2225 / 01 / 277 / 5133 / 42 / 007	1005000	1005000		1005000
38	15 / 2225 / 01 / 277 / 6175 / 42 / 007	300000	300000		300000
39	15 / 2225 / 01 / 277 / 8805 / 42 / 007	1050000	1050000		1050000
40	15 / 2225 / 01 / 277 / 8844 / 42 / 007 राज्य छात्रवृत्ति	692000	692000		692000
41	15 / 2225 / 01 / 277 / 3997 / 42 / 007	20000	20000		0
42	15 / 2225 / 01 / 277 / 5095 / 42 / 007	8,80000	8,80000		0
43	15 / 2225 / 01 / 277 / 5095 / 42 / 007	2,00,000	2,00,000		0
44	33 / 2225 / 02 / 0495 आश्रम	458000	458000		209665
45	33 / 2225 / 02 / 1398 छात्रावास	1806000	1806000		1624617
46	33 / 2225 / 02 / 277 / 2676 / 41 / 002	90000	90000	—	90000
47	33 / 2225 / 02 / 277 / 6175 / 41 / 002	180000	180000		180000
48	33 / 2225 / 02 / 800 / 8804 / 42 / 07	5000	5000	—	5000
49	41 / 2225 / 02 / 277 / 0494 / शा लार्ण	231000	231000		141511
50	41 / 2225 / 02 / 277 / 0102 / 13 98	243000	243000		98775
51	41 / 2225 / 02 / 277 / 4713 सौभाग्यवती योजना	50000	50000	—	50000
52	41 / 2225 / 800 / 5191 / 42 / 07 राहत	200000	106250		112500
53	41 / 2225 / 02 / 277 / 2676 / 41 / 002	10000	10000	—	10000
54	41 / 2225 / 602 / 02 / 2676 / 41 / 002	300000	300000	—	300000
55	41 / 4225 / 02 / 800 / 4722 / 32	350000	250000		250000

56	41 / 2225 / 02 / 277 / 8735 /	6000	6000	—	5970
57	41 / 4225 / 02 / 277 / 8799 / 32	60000	—		60000
58	41 / 2225 / 02 / 277 / 8832 / 32		—		24695
59	52 / 2225 / 02 / 277 / 0494 / 42 / 007	80000	80000		80000
60	52 / 2225 / 02 / 277 / 1392 / 42 / 007	160000	160000		160000
61	52 / 2225 / 02 / 277 / 1398 / 42 / 007	344000	344000		264000
62	52 / 2225 / 02 / 0102 / 42 / 279 3	1000	1000		1000
63	52 / 2225 / 02 / 277 / 3997 / 42 / 007	10000	10000		10000
64	52 / 2225 / 02 / 277 / 4691 / 42 / 007	50000	50000		50000
65	52 / 2225 / 02 / 277 / 8805 / 42 / 007	630000	630000		630000
66	52 / 2225 / 02 / 277 / 8844 / 42 / 007	64000	64000	—	64000
67	66 / 2225 / 03 / 1474 / 11 / 01	394600	394600	—	394600
68	66 / 2225 / 03 / 800 / 0101 / 7065 संघ लोक सेवा आयोग	60000	60000	— —	60000
69	66 / 2225 / 03 / 277 / 0101 / 26 76 / 41 / 002	3440000	3440000	—	3440000
70	66 / 2225 / 03 / 2793 / 42 / 007	5000	5000	—	5000
71	66 / 2225 / 03 / 277 / 6175 / 41 / 002	2720000	2720000	—	2720000
72	66 / 2225 / 03 / 0101 / 6175 / 4 1 / 002	4560000	4560000	—	4560000
73	66 / 2225 / 03 / 277 / 0101 / 63 84 / 51	40000	40000	—	40000
74	66 / 2225 / 03 / 277 / 0101 / 47 13 / 51	10000	10000	—	10000
75	66 / 2225 / 03 / 800 / 0101 / 70 59 / 42	5000	5000	—	5000
76	66 / 2225 / 03 / 277 / 0101 2676 / 41 / 002	8,50,000	8,50,000	—	8,50,000
77	66 / 2225 / 03 / 800 / 0101 / 70 65 / 42	30,000	30000	—	30000

13ण1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं ।

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- राज्य छात्रवृत्ति (अजा./अजजा.)
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक लाभ पहुंचाना ।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- 8125 विद्यार्थी एवं राशि रु. 20.84 लाख ।
- लाभार्थी की पात्रता :- कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मान्यता प्राप्त स्थानीय शिक्षण संस्थाओं पर नियमित विद्यार्थी होना ।
- पूर्वापेक्षाएं :- कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण होना ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- छात्रवृत्ति स्वीकृत शासकीय शाला प्रमुख एवं अषासकीय संकुल प्रभारी द्वारा किया जाता है ।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण अंकसूची, जाति, जनजाति प्रमाण पत्र इसी प्रकार कक्षा 9 में प्रवेश के समय अंकसूची जाति प्रमाण पत्र परंतु किसी भी कक्षा में 1 से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर पात्रता नहीं रहेगी ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- प्रत्येक छात्र को कक्षा 6से8 में राशि रु. 200/- एवं छात्रा को राशि रु. 300/- एवं 9से10 में राशि रु. 300/- एवं छात्रा को राशि रु. 400/- दी जाती है ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- बैंक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- शासकीय शाला प्रमुख, अषासकीय संकुल प्रभारी ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, अंकसूची आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं ।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि) :- राशि जिला संयोजक एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के नोडल खाते में रहती है स्वीकृति अनुसार संकुल प्रभारियों को प्रकरण हेतु प्रदाय की जाती है ।
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०

समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत पात्र बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित शाला के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	------------------------	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति (अजा.)
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक लाभ पहुंचाना ।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- 296 विद्यार्थी एवं राषिरु. 3.50लाख
- लाभार्थी की पात्रता :- कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मान्यता प्राप्त स्थानीय शिक्षण संस्थाओं पर नियमित विद्यार्थी होना ।
- पूर्वापेक्षाएं :- कक्षा 1 से ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- छात्रवृत्ति स्वीकृति जिला संयोजक कार्यालय द्वारा की जाती है।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- कक्षा 1 में प्रवेश, उत्तीर्ण अंकसूची, अस्वच्छ धंधा जाति प्रमाण पत्र ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- प्रत्येक छात्र को राषि रू. 40/-, 60/-, 75/- मासिक तथा अनुदान 550/- एवं छात्रा को राषि रू. 40/-, 60/-, 75/- मासिक तथा अनुदान 550/- दी जाती है।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- बैंक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- शासकीय शाला प्रमुख, अषासकीय संकुल प्रभारी ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, अंकसूची आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राषि जिला संयोजक एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के नोडल खाते में रहती है स्वीकृति अनुसार संकुल प्रभारियों को प्रकरण हेतु प्रदाय की जाती है।
- लाभाधियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राषि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०

समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत पात्र बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित शाला के अनुसार	अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	------------------------	----------------------------------	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (अजा./अजजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक लाभ पहुंचाना ।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **1345 विद्यार्थी एवं राशि रु. 30.86 लाख**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 11 से महाविद्यालयीन में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मान्यता प्राप्त स्थानीय शिक्षण संस्थाओं पर नियमित विद्यार्थी होना ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होना ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **छात्रवृत्ति स्वीकृत शासकीय शाला प्रमुख, अषासकीय जिला संयोजक एवं प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा किया जाता है ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **कक्षा 10 वी उत्तीर्ण अंकसूची, जाति, जनजाति प्रमाण पत्र ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **प्रत्येक छात्र को क्रमशः 140/-, 185/- राशि रु. एवं छात्रा को राशि रु. 140/-, 185/- दी जाती है ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **बैंक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **शासकीय शाला प्रमुख, अषासकीय संकुल प्रभारी एवं महाविद्यालय ।**
- आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है ।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **राशि जिला संयोजक एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के नोडल खाते में रहती है स्वीकृति अनुसार संकुल प्रभारियों को प्रकरण हेतु प्रदाय की जाती है ।**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं

समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अध्यनरत पात्र बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित शाला के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	------------------------	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **कन्या प्रोत्साहन योजना (अजा./अजजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक लाभ पहुंचाना ।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **1130 विद्यार्थी एवं राशि रु. 9.17 लाख**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 5वी, 8वी एवं 10वी उत्तीर्ण छात्राओं को मान्यता प्राप्त स्थानीय शिक्षण संस्थाओं पर नियमित विद्यार्थी होना ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 5वी, 8वी एवं 10वी उत्तीर्ण होना ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **छात्रवृत्ति स्वीकृत शासकीय शाला प्रमुख, अषासकीय संकुल प्रभारी ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **कक्षा 5वी, 8वी एवं 10वी उत्तीर्ण अंकसूची, जाति, जनजाति प्रमाण पत्र ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **प्रत्येक छात्रा को क्रमशः कक्षा 6 में 500/-, कक्षा 9 में 1000/- एवं कक्षा 11 में 2000/- राशि दिये जाने का प्रावधान है ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **बैंक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **शासकीय शाला प्रमुख, अषासकीय संकुल प्रभारी ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है ।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **राशि जिला संयोजक एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के नोडल खाते में रहती है स्वीकृति अनुसार संकुल प्रभारियों को प्रकरण हेतु प्रदाय की जाती है ।**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं

समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 5वी, 8वी एवं 10वीं उत्तीर्ण अध्यनरत पात्र बालिकाओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है।	संबंधित शाला के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	------------------------	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **प्रावीण्य छात्रवृति (अजा./अजजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थायी जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अनुसूचित जाति/जनजाति के वे छात्र/छात्राएँ जो कक्षा 5 एवं 8 वीं उत्तीर्ण, प्रतिभावानो के अधिकतम अंको का प्रावीण्यता अर्जित करने पर छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है ।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :-**10 विद्यार्थी एवं राशि रु. 5000/-**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 5 एवं 8 वीं उत्तीर्ण, प्रतिभावानो के अधिकतम अंको का प्रावीण्यता अर्जित करने पर छात्रवृति की पात्रता है ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 5वी, 8वी उत्तीर्ण होना ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **कक्षा 5वी, 8वी उत्तीर्ण अंकसूची, जाति, जनजाति प्रमाण पत्र ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **प्रत्येक छात्र को राशि रु. 500/- एवं छात्रा को राशि रु. 500/- दी जाती है ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **शासकीय शाला प्रमुख, अषासकीय संकुल प्रभारी ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है ।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **राशि जिला संयोजक एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के नोडल खाते में रहती है स्वीकृति अनुसार संकुल प्रभारियों को प्रकरण हेतु प्रदाय की जाती है ।**
- लाभाधियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०

समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 5वी, 8वी उत्तीर्ण अध्यनरत पात्र बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित शाला के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
---	------------------------	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति ।**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थायी जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अनुसूचित जाति/जनजाति के वे छात्र/छात्राएँ जो कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मा0षि0म0 द्वारा संचालित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शिक्षण शुल्क की पूर्ति विभाग द्वारा जाति प्रमाणित एवं सत्यापित पश्चात मा0षि0म0 को राशि का भुगतान करने का प्रावधान है।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **26 विद्यार्थी एवं राशि रु. 8820/-**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 10 एवं 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 9वी, 11वी उत्तीर्ण होना ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **कक्षा 9वी, 11वी उत्तीर्ण अंकसूची, जाति, जनजाति प्रमाण पत्र ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **मा0षि0म0 द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **मा0षि0म0 को ।**
- आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **राशि सचिव मा0षि0म0/सचिव संभाग उज्जैन को दी जाती है।**
- लाभाथियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मन०

समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 10वी, 12वी अध्यनरत पात्र बालक/बालिकाओं को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित शाला के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	------------------------	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **विद्यार्थी कल्याण योजना (अजा./अजजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अजा./अजजा./विजा. व पिछडा वर्ग विद्यार्थियों की विषिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहायता देना है, जिससे अध्यापन मे किसी प्रकार की रूकावत न हो ।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **37 विद्यार्थी एवं राशि रु. 5836/-**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 1 एवं 10 वीं ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **निरंक ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **आश्रम एवं छात्रावासी ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **500/- की सीमा में ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची, चिकित्सक का प्रमाण पत्र आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहां सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **जिला स्तर से शाला प्रमुखों के माध्यम से ।**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०

समस्त पात्र आश्रम/छात्रावस विद्यार्थियों को 500/- की सीमा तक लाभांवित किया जाता है।	संबंधित छात्रावास/आश्रम के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
---	-----------------------------------	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **मेघावी पुरस्कार योजना (अजा./अजजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अजा./अजजा. के मेघावी छात्र/छात्राओं को योग्यता की पहचान करने तथा उनहे उच्च अध्ययन प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिये परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय स्थान उच्चतम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना से लाभांवित किया जाता है।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **निरंक**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 10 एवं 12 वीं उत्तीर्ण ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 9 एवं 11वीं**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **आश्रम एवं छात्रावासी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **1000/- की सीमा में ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची, आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहां सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **जिला स्तर से ।**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्ल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०

समस्त पात्र आश्रम/छात्रावास एवं शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को 1000/- की सीमा तक लाभांवित किया जाता है।	संबंधित छात्रावास/आश्रम शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	---	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **पब्लिक स्कूल में प्रवेश योजना (अजा./अजजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अजा. /अजजा. के प्रतिभावान बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के श्रेष्ठ पब्लिक स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की गई है।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **निरंक**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 1 में प्रवेश से 12 वीं तक ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 1 से लगातार ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **आश्रम एवं छात्रावासी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **निर्धारित नहीं**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **निरंक ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची, आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि) :- **जिला स्तर से ।**
- लाभाधियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं

समस्त पात्र आश्रम/छात्रावास एवं शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूल द्वारा निर्धारित किये जाने प्रावधान है।	संबंधित छात्रावास/आश्रम शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	---	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- दिल्ली में उच्च अध्ययन हेतु छात्रावास सुविधा (अजा./अजजा.)
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- अजा./अजजा. के छात्र/छात्राओं हेतु दिल्ली महानगर में उच्च अध्ययन के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रगृह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- निरंक
- लाभार्थी की पात्रता :- उच्च अध्ययन ।
- पूर्वापेक्षाएं :- कक्षा 12 उत्तीर्ण ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- आवंटन उपलब्ध होने पर ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- शासन नियमानुसार ।
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, अंकसूची, आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- जिला स्तर से ।
- लाभाधियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्लदयत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०

समस्त पात्र मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिल्ली में उच्च अध्ययन कराये जाने का प्रावधान है।	संबंधित मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा महाविद्यालय के अनुसार	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
--	--	---	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **विधि स्नातको को आर्थिक सहायता (अजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **योजना का मुख्य उद्देश्य अजा वर्ग के विधि स्नातको को उन्हे विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वकालात का व्यवसाय अपनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण एप्रेन्टिसशिप के रूप में प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के आर्थिक सहायता से वे अपनी वकालात का व्यवसाय प्रशिक्षण के पश्चात स्थापित कर सकते है।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **2 हितग्राही राशि रु. 2400/-**
- लाभार्थी की पात्रता :- **एल.एल.बी. उत्तीर्ण ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **बीकाम, बीएससी, बीए फायनल उत्तीर्ण ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **विधि स्नातको को उन्हे विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वकालात का व्यवसाय अपनाने हेतु ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची, आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्त होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **जिला स्तर से ।**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्लदियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं

समस्त पात्र विद्यार्थियों को विधि स्नातक का प्रावधान है।	संबंधित पात्र विद्यार्थियों के अनुसार	अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
---	---------------------------------------	----------------------------------	--

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **प्री मैट्रिक छात्रावास का संचालन (अजा./अजजा.)**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **पढाई के साथ-साथ रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये छात्रावास सुविधा संचालित है।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **555 विद्यार्थी के लिये प्रति छात्र मेस व्यवस्था हेतु 360/- तथा छात्र के लिये मेस व्यवस्था हेतु 350/- प्रतिमाह ।**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 6 से 10 वीं उत्तीर्ण । कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 5 वी उत्तीर्ण ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **संबंधित अधीक्षक से आवेदन पत्र माह जुन में प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र जनपद की शिक्षा समिति में प्रस्तुत किये जाते है। शिक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात प्रवेश आदेश जारी किये जाते है।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **प्रवेश हेतु कक्षा से पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची एवं जाति, प्रमाण पत्र ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **राषि जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अधीक्षक एवं छात्राध्यक्ष के खाते में जमा की जाती है। जहां दोनो के हस्ताक्षर से राषि आहरित की जाती है। राषि आहरण पूर्व प्रधानाध्यापक से उपस्थिति प्रमाणित करवाई जाती है।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें :- **संबंधित अधीक्षक**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची, आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराषि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **राषि कोषालय से आहरण कर अधीक्षक एवं छात्रसंघ खाते में जमा की जाती है।**
- लाभाथियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राषि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास
------------------------------	-----------------	----------------	---------	-----------------	-------

					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०	
1. क.छात्रावास रामपुरा सीट 50	360	सूची संबंधित छात्रावा स में उपलब्ध है।	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है। तथा वांछित कक्षा में प्रवेश के पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।					
2. बा.छात्रा.रामपुरा 20 सीट	350								
3. आदि.बा.छात्रा. कुकडेष्पर 20सीट	350								
4. आदि.क.छात्रा. कुकडेष्पर 15सीट	360								
5. क.छात्रावास रामपुरा सीट 50	360								
6. बा.छात्रा.रामपुरा 20 सीट	350								
7. आदि.बा.छात्रा. कुकडेष्पर 20सीट	350								
8. आदि.क.छात्रा. कुकडेष्पर 15सीट	360								
9. आदि.बा.छात्रा. टामोटी 50सीट	350								
10. बा.छात्रा.कुण्डला 50सीट	350								
11. बा.छात्रा. चीताखेडा 20सीट	350								
12. बा.छात्रा.मोरवन 50सीट	350								
13. बा.छात्रा.डीकेन 50 सीट	350								
14. आदि.बा.छात्रा. डीकेन 50सीट	350								
15. आदि.क.छात्रा. रतनगढ 50सीट	360								
16. क.छात्रा.सिंगोली 20सीट	360								
17. बा.छात्रा.सिंगोली 50सीट	350								
18. आदि.बा.छात्रा. जावद 20सीट	350								

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का संचालन (अजा./अजजा.)

- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई** जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **पढाई के साथ-साथ रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये छात्रावास सुविधा संचालित है।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **140 विद्यार्थी के लिये आगमन भत्ता दिया जाता है।**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण । कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 9 वीं उत्तीर्ण ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **संबंधित अधीक्षक से आवेदन पत्र माह जुन में प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र जनपद की शिक्षा समिति में प्रस्तुत किये जाते है। शिक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात प्रवेश आदेश जारी किये जाते है।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **प्रवेश हेतु कक्षा से पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची एवं जाति, प्रमाण पत्र ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **निरंक**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **निरंक**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **संबंधित अधीक्षक**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची, आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **निरंक**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं
	1. बा.पो.मै.छात्रा. नीमच 50 सीट 2. क.पो.मै.छात्रा. नीमच 20 सीट 3. बा.पो.मै.छात्रा. रामपुरा 50सीट 4. बा.पो.मै.छात्रा. जावद20सीट	— — — —	सूची संबंधित छात्रावास में उपलब्ध है।	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है। तथा वांछित कक्षा में प्रवेश के पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।			

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **आश्रम (अजा./अजजा.)**

- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- पढाई के साथ-साथ रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये छात्रावास सुविधा संचालित है ।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- 220 विद्यार्थी के लिये प्रति छात्र मेस व्यवस्था हेतु 360/- तथा छात्र के लिये मेस व्यवस्था हेतु 350/- प्रतिमाह ।
- लाभार्थी की पात्रता :- कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 10 वीं उत्तीर्ण । कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है ।
- पूर्वपेक्षाएं :- -
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- संबंधित अधीक्षक से आवेदन पत्र माह जुन में प्राप्त किये जाते है । आवेदन पत्र जनपद की शिक्षा समिति में प्रस्तुत किये जाते है । शिक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात प्रवेश आदेश जारी किये जाते है ।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- प्रवेश हेतु कक्षा से पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची एवं जाति, प्रमाण पत्र ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- राशि जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अधीक्षक एवं छात्राध्यक्ष के खाते में जमा की जाती है । जहां दोनो के हस्ताक्षर से राशि आहरित की जाती है । राशि आहरण पूर्व प्रधानाध्यापक से उपस्थिति प्रमाणित करवाई जाती है ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- चेक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें :- संबंधित अधीक्षक
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, अंकसूची, आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है ।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राशि कोषालय से आहरण कर अधीक्षक एवं छात्रसंघ खाते में जमा की जाती है ।
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मन०

1.	आदि.बा. आश्रम धाकडखे डी 30सीट	350	सूची संबंधित आश्रम में उपलब्ध है।	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है। तथा वांछित कक्षा में प्रवेश के पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।
2.	क.आ. कुकडेप्वर 50सीट	360			
3.	क.आ. आंत्री 30सीट	360			
4.	क.आ. चीताखेडा 30सीट	360			
5.	बा.आ. कुकडेप्वर 50सीट	350			
6.	बा.आ. बोरदिया कला 30सीट	350			

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- जिला स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- पढाई के साथ-साथ रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये छात्रावास सुविधा संचालित है एवं कोचिंग व्यवस्था, कम्प्यूटर शिक्षा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- 100 विद्यार्थी के लिये प्रति छात्र मेस व्यवस्था हेतु 600/- तथा छात्रा के लिये मेस व्यवस्था हेतु 600/- प्रतिमाह । प्रतिछात्र को 2000/- की स्टेपनरी दिये जाने का प्रावधान है।
- लाभार्थी की पात्रता :- कक्षा 8 एवं 10 वीं उत्तीर्ण होने एवं 50 प्रतिषत से अधिक अंक होना अनिवार्य । कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है।
- पूर्वपेक्षाएं :- कक्षा 7 एवं 9
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- संबंधित अधीक्षक से आवेदन पत्र माह जुन में प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र कलेक्टर एवं जिला पंचायत की समिति में प्रस्तुत किये जाते है। समिति के अनुमोदन पश्चात प्रवेश आदेश जारी किये जाते है।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- प्रवेश हेतु कक्षा से पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची एवं जाति, प्रमाण पत्र ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- राशि जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अधीक्षक एवं छात्राध्यक्ष के खाते में जमा की जाती है। जहां दोनो के हस्ताक्षर से राशि आहरित की जाती है। राशि आहरण पूर्व प्रधानाध्यापक से उपस्थिति प्रमाणित करवाई जाती है।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- चेक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें :- संबंधित अधीक्षक
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क

- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, अंकसूची, आदि**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि) :- **राशि कोषालय से आहरण कर अधीक्षक एवं छात्रसंघ खाते में जमा की जाती है।**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मन०
	1. बा.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच 50सीट 2. क.उत्कृष्ट छात्रा. नीमच 50सीट	600 600	सूची संबंधित छात्रावास में उपलब्ध है।	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है। तथा वांछित कक्षा में प्रवेश के पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।			

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **पढाई के साथ-साथ रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये छात्रावास सुविधा संचालित है एवं कोचिंग व्यवस्था की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **140 विद्यार्थी के लिये प्रति छात्र मेस व्यवस्था हेतु 350/- तथा छात्रा के लिये मेस व्यवस्था हेतु 360/- प्रतिमाह । प्रतिछात्र को 2000/- की स्टेपनरी दिये जाने का प्रावधान है।**
- लाभार्थी की पात्रता :- **कक्षा 5 एवं 8 वीं उत्तीर्ण होने एवं 50 प्रतिशत से अधिक अंक होना अनिवार्य । कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **कक्षा 4 एवं 7**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **संबंधित अधीक्षक से आवेदन पत्र माह जुन में प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र कलेक्टर एवं जिला पंचायत की समिति में प्रस्तुत किये जाते है। समिति के अनुमोदन पश्चात प्रवेश आदेश जारी किये जाते है।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **प्रवेश हेतु कक्षा से पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची एवं जाति, प्रमाण पत्र ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **राशि जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अधीक्षक एवं छात्राध्यक्ष के खाते में जमा की जाती**

है। जहां दोनो के हस्ताक्षर से राषि आहरित की जाती है। राषि आहरण पूर्व प्रधानाध्यापक से उपस्थिति प्रमाणित करवाई जाती है।

- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- चेक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहां/ किससे सम्पर्क करें :- संबंधित अधीक्षक
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, अंकसूची, आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराषि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राषि कोषालय से आहरण कर अधीक्षक एवं छात्रसंघ खाते में जमा की जाती है।
- लाभाधियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राषि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०
	1. बा.उत्कृष्ट छात्रा. मनासा 20सीट	350	सूची संबंधित छात्रावास में उपलब्ध है।	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है। तथा वांछित कक्षा में प्रवेश के पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।			
	2. क.उत्कृष्ट छात्रा. मनासा 20सीट	360						
	3. बा.उत्कृष्ट छात्रा. जावद 50सीट	350						
	4. क.उत्कृष्ट छात्रा. जावद 50सीट	360						

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- छात्रगृह योजना
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओ को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं छात्र/छात्राओ द्वारा की जाती है।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- 50 विद्यार्थी
- लाभार्थी की पात्रता :- कक्षा 11 एवं 12 उत्तीर्ण होना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षाएं :- कक्षा 10

- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- संबंधित अधीक्षक से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र जनपद की शिक्षा समिति में प्रस्तुत किये जाते है। शिक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात प्रवेश आदेश जारी किये जाते है।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- प्रवेश हेतु कक्षा से पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची एवं जाति, प्रमाण पत्र ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- निरंक
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- निरंक
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें :- संबंधित अधीक्षक
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, अंकसूची, आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राशि कोषालय से आहरण कर अधीक्षक एवं छात्रसंघ खाते में जमा की जाती है।
- लाभाधियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मन०
	वर्तमान में एक संस्था संचालित है। जिसमें 55 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।	सूची संबंधित छात्रावास में उपलब्ध है।	अनुसूचित जाति/जनजाति का होना आवश्यक है। तथा वांछित कक्षा में प्रवेश के पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	संबंधित संस्था के रिकार्ड में उपलब्ध है।				

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर 20000/- प्रति उम्मीदवार को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल प्रति उम्मीदवार को 40000/- को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है।

- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- म.प्र. लोक सेवा आयोग के 18 अभ्यर्थियों 1.60 लाख एवं संघ लोक सेवा आयोग के 1 अभ्यर्थी को 40000/- की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई ।
- लाभार्थी की पात्रता :- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एवं अजा./अजजा. वर्ग का होने पर, जो म. प्र. का मुल निवासी हो, जिसकी आय 1.20 लाख से अधिक न हो एवं जो शासकीय सेवा मे न हो ।
- पूर्वापेक्षाएं :- -
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- आदिम जाति कल्याण विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात स्वीकृति आदेश जारी किये जाते है।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एवं अजा./अजजा. वर्ग का होने पर, जो म.प्र. का मुल निवासी हो, जिसकी आय 1.20 लाख से अधिक न हो एवं जो शासकीय सेवा मे न हो ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर 20000/- प्रति उम्मीदवार को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल प्रति उम्मीदवार को 40000/- को प्रोत्साहन स्वरूप राशि देने का प्रावधान है।
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, अंकसूची, प्रवेश पत्र, परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राशि कोषालय से आहरण कर संबंधित को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- लाभाथियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल ला/गाँव	मनं
1	मनोज तंवर	20000	रमेश तंवर	म.प्र. लोक सेवा आयोग	नीमच	नीमच	नीमच	-
2	मनोज तंवर	10000	रमेश तंवर	म.प्र. लोक सेवा आयोग	नीमच	नीमच	नीमच	-

3	गोपाल कृष्ण श्रीमाल	10000	घीसालाल	-----"-----	नीमच	नीमच	लसूडी तंवर	-
4	कु0 विजयश्री अम्ब	10000	देवीसिंह	-----"-----	नीमच	नीमच	यादव मंडी	-
5	कु0 दीपाली अम्ब	10000	देवसिंह	-----"-----	नीमच	नीमच	-'-	-
6	कैलाषी प्लास	10000	मोतीलाल	-----"-----	नीमच	नीमच	स्कीम नं. 9	-
7	कु0 बीना प्लास	10000	शैलेन्द्र	-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-
				-----"-----	नीमच			-

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- अजा./अजजा. राहत योजना
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- ऐसे अनुसूचित जाति/जनजाति के जरूरतमंद व्यक्तियों को तुरंत राहत उपलब्ध कराना है, जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकट की स्थिति में है।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- अजा. के 130 हितग्राहियों को 1,61,000/- की राशि एवं अजजा. के 4 हितग्राहियों को 4500/- राशि उपलब्ध कराई गई है।
- लाभार्थी की पात्रता :- सवर्ण वर्ग द्वारा उत्पीडन के कारण शारीरिक या सांपत्तिक हानि उठाने वाले अजा./अजजा. के व्यक्ति । अपाहिज अंधे व संकटापन्न व्यक्ति ।
- पूर्वापेक्षाएं :- अजा./अजजा. के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अजा./अजजा. के व्यक्तियों द्वारा सादे कागज पर कलेक्टर अथवा जिला संयोजक को आवेदन प्रस्तुत करना ।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- अजा./अजजा. का सदस्य होना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले संकटान्न परिवार ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- अधिकतम 2000/- की आर्थिक सहायता ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- चेक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क

- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- सादे कागज पर अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग करना ।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, राषनकार्ड, अनुषंसा प्रमाण पत्र, आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- -
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराषि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राषि कोषालय से आहरण कर संबंधित को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है ।
- लाभाथियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

क्र.	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राषि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवासी			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	म.न.
01	राधाबाई रेगर	1000	भेरूलाल जी	केंसर की बीमारी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता	नीमच	नीमच	चीताखेडा	
02.	श्री शांतिलाल मेहतर	500	पूनमचंद	बीमार व्यक्ति को आर्थिक	नीमच	नीमच	पालसोड़ा	
03	श्री प्रेमचन्द जाटव	1000	उदेराम	निराश्रित विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता	नीमच	नीमच	ग्वालटोली	
04.	श्री पप्पू उर्फ रामकिशन मेहतर	1000	बाबूलाल	वाहन दुघर्टना में पांव फेक्चर होने पर संकटापन्न स्थिति में सहायता	नीमच	नीमच	नीमच	
05.	श्रीमति रामकन्याबाई मेघवाल	1000	स्व. भंवरलाल	पति की कुएं में गिरने से मृत्यु होने पर संकटापन्न स्थिति में	नीमच	नीमच	कचाली	
06.	श्रीमति मायाबाई यादव	800	नारायण	पति लकवे की बीमारी से ग्रस्त होने पर संकटापन्न स्थिति में आर्थिक सहायता	नीमच	नीमच	नीमचसिटी	
07.	कस्तुरीबाई पति स्व. श्री घनश्याम	1000	घनष्याम	पति की आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता	नीमच	नीमच	स्कीम न. 7	
08.	प्रकाशचंद्र	500	स्व. श्री रामचन्द्र	लकवे से ग्रसित होने पर संकटापन्न	नीमच	नीमच	बघाना	
09.	देवीलाला भांभी	1000	जगन्नाथ	पत्नि के वॉल आपरेशन पर सहायता	नीमच	मनासा	आंकली	
10.	शांतिलाल बलाई	500	वीरमलाल	आर्थिक सहायता	नीमच	जावद	मैलानखेड़ा	
11.	श्रीमति वस्सीबाई पति स्व.	500	उंकारलाल	-----"-----	नीमच		भडभडिया	
12	निशा बांछड़ा	500	बंषीलाल	-----"-----	नीमच	मनासा	चपलाना	

13	श्री सूरजमल बांछड़ा	2000	बंधीलाल	-----''-----	नीमच	मनासा	चपलाना	
14	श्री संतराम बांछड़ा	300	कनीराम	-----''-----	नीमच	मनासा	चपलाना	
15	श्री गोपाल बांछड़ा	300	कनीराम	-----''-----	नीमच	मनासा	चपलाना	
16	श्रीमती बींदिया बांछड़ा	300	संतराम	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
17	श्री लाला बांछड़ा	300	बंधीलाल	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
18	श्री बंशीलाल बांछड़ा	300	जेतराम	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
19	श्री बृजेश बांछड़ा	300	मदनलाल	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
20	पिंकीबाई बांछड़ा	500		-----''-----	---''	---''---	---''---	
21	श्री रामलाल बांछड़ा	300	जेतराम	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
22	श्री मानसिंह बांछड़ा	300	कनीराम	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
23	श्री हीरालाल बांछड़ा	500	कनीराम	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
24	श्री बबलू बांछड़ा	300	हीरालाल	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
25	दयाराम बांछड़ा	300	कचरूलाल	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
26	रामकिषन बांछड़ा	500	नारायण	-----''-----	---''	---''---	---''---	
27	ललिताबाई	300	पप्पूलाल	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
28	श्री बाबूलाल बांछड़ा	300	लक्ष्मण	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
29	श्री राकेश बांछड़ा	500	रामलाल	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
30	मोहनलाल बांछड़ा	300	धूराजी	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
31	कचरूलाल	300	धूराजी	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
32	विनोद बांछड़ा	300	बंधीलाल	-----''-----	---''	---''---	---''---	
33	सूरजमल	500	बंधीलाल	-----''-----	--''--	---''---	---''---	
34	भेरूलाल बलाई	500	नंदाजी	-----''-----	नीमच	मनासा	महागढ़	
35	भंवरलाल मेघवाल	500	मांगीलाल	-----''-----	नीमच	नीमच	मोडी	

36	परसराम	500	गोरधन	-----''-----	नीमच	नीमच	मोडी	
37	षिवलाल	500	मोडीराम	-----''-----	नीमच	--'	--'	
38	नाथुलाल जाटव	1000	राधुजी	-----''-----	--'	मनासा	डागडी	
39	अम्बालाल	500	खेमराज	-----''-----	--'	नीमच	मोडी	
40	नाथुलाल चमार	1000	भगीरथ	-----''-----	--'	मनासा	ढाकनी	
41	शंभुलाल मेघवाल	800	लालचंद	-----''-----	--'	जावद	खोर	
42	पप्पूलाल मेघवाल	800	स्व०मोहन लाल	-----''-----	--'	जावद	खोर	
43	जगदीश- रेगर	800	नग्गाजी	-----''-----	--'	जावद	बांगरेड	
44	श्रीमती कलाबाई रेगर	1000	बाबूलाल	-----''-----	--'	मनासा	भादवामाता	
45	श्रीमती चांदीबाई रेगर	800	शांतिलाल	-----''-----	--'	--'	--'	
46	खेताराम मोघिया	1000	गुलाबजी	-----''-----	--'	नीमच	डुगलावदा	
47	घीसालाल जाटव	1000	हीरालाल	-----''-----	--'	नीमच	पालसोडा	
48	श्रीमती कलाबाई बाछडा	1000	मनोहर	-----''-----	--'	नीमच	चल्दू	
49	राधेष्णाम मोगिया	800		-----''-----	--'	नीमच	चडोली	
50	श्रीमतीगुंडडीबाई मेघवाल	800	लाभचंद	-----''-----	--'	नीमच	खेरमालिया	
51	अम्बालाल मेघवाल	1500	चुन्नीलाल	-----''-----	--'	नीमच	बमोरा	
52	धन्नालाल जाटव	1500	घीसालाल	-----''-----	--'	नीमच	ग्वालटोली	
53	बनवरीलाल	800	गोपाल	-----''-----	--'	नीमच	बागपिपल्या	
54	महेन्द्र मेहतर	1000	लालाराम	-----''-----	--'	नीमच	गांधी कालोनी	
55	घीसालाल मेघवाल	1500	शंकरलाल	-----''-----	--'	नीमच	ग्वालटोली	
56	रामचन्द्र बागरी	1000	चम्पालाल	-----''-----	--'	नीमच	भरभडिया	
57	लच्छीराम मेघवाल	1000	मोतीजी	-----''-----	--'	नीमच	जयसिंहपुरा	
58	बबलू बांछडा	900	बंधीलाल	-----''-----	--'	नीमच	चडोली	
59	भेरूलाल मेघवाल	800	किषनला ल	-----''-----	--'	नीमच	बोरखेडभ	
60	श्रीमती कामिनीबाई बांछडा	800	रतनलाल	-----''-----	--'	नीमच	सगरग्राम	
61	श्रीमती शांतिबाई	800	रामसिंग	-----''-----	--'	नीमच	हिंगोरिया	

	बांछड़ा							
62	श्रीमती जानीबाई बलाई	1000	स्व. चांदमल	-----''-----	--'--	नीमच	धामनियां	
63	भेरूलाल मेघवाल	800	गिरधारीलाल	-----''-----	--'--	नीमच	मालखेड़ा	
64	बालूराम मेघवाल	1000	नंदराम	-----''-----	--'--	नीमच	पिपलोन	
65	मूलचंद मेघवाल	800	नानूराम	-----''-----	--'--	नीमच	जावी	
66	प्रकाशचंद रेगर	800	शोभाराम	-----''-----	--'--	नीमच	मालखेड़ा	
67	राजमल चमार	800	नंदाजी चमार	-----''-----	--'--	नीमच	लखमी	
68	राजू रेगर	800	किशनलाल	-----''-----	--'--	नीमच	बघाना	
69	मांगीलाल जाटव	800	मेघराज	-----''-----	--'--	नीमच	ग्वालटोली	

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- अजा./अजजा. अत्याचार निवारण योजना
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा शारीरिक एवं सांपत्तिक हानि पहुंचान पर राहत/पुर्नवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- अजा. के 13 हितग्राहियों को 2,06,250/- की राशि एवं अजजा. के 3 हितग्राहियों को 75000/- राशि उपलब्ध कराई गई है।
- लाभार्थी की पात्रता :- सवर्ण वर्ग द्वारा अजा./अजजा. के व्यक्तियों उत्पीडीत किये जाने पर ।
- पूर्वापेक्षाएं :- अजा./अजजा. के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अजा./अजजा. के पीडित व्यक्तियों के प्रकरण पुलिस कार्यालय प्राप्त होने पर राहत स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- अजा./अजजा. का सदस्य होना ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- कम से कम 6250/- एवं अधिकतम 200000/- की आर्थिक सहायता ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- चेक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- सादे कागज पर अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग करना ।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मेडीकल रिपोर्ट आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- प्रथम सूचना रिपोर्ट का शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप ।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।

- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि) :- राशि कोषालय से आहरण कर संबंधित को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं०
								—
1	श्री रामलाल चमार	6250	नारायण	अपमान अभित्रास	नीमच	जावद	पालराखेड़ा	—
2	रामचन्द्र चमार	6250	राजाराम	—”—	नीमच	नीमच	भाटखेड़ी	—
3	श्रीमती गुड्डीबाई	6250	नन्दलाल	बलाश्रम से पति की मृत्यु	नीमच	मनासा	हामाखेड़ी	—
4	श्रीमती शांतिबाई मेघवाल	25000	प्रभुलाल	—”—	नीमच		रायसिंग पिपल्या	—
5	कुन्दलमल मेहतर	6250	रमेशचन्द्र	—”—	नीमच	मनासा	रामपुरा	—
6	श्रीमती पुष्पाबाई भील	6250	मांगीलाल	—”—	नीमच	मनासा	जूनासात	—
7	श्री नाथूलाल भील	6250	बाबूलाल	—”—		जावद	सरवानिया महाराज	
8	मोडीराम मेघवाल	25000	नारायण जी	सदोष भूमि अधिभोग लेना		जावद	मोडी	
9	श्रीमति श्यामाबाई भील	25000	मनोहर	लैंगिक शोषण		मनासा	भाटखेड़ी कंजार्डा	
10	श्रीमती पानपति	25000	गोरख सिंह	पुत्री का अपहरण		नीमच	ग्वालटोली	
11	श्रीमति कांताबाई	25000	रामलाल	बलात्कार		जावद	अखेपुर	
12	श्रीकन्हैयालाल	6250	धीसालाल	अपमान अभित्रास		जावद	केलूखेडा	
13	कुन्दनलाल मेहतर	6250	रमेशचन्द्र	—”—		मनासा	रामपुरा	

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **कन्या सौभाग्यवती योजना**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह हेतु राशि उपलब्ध कराना है ।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **अजा. के 1 हितग्राही को 5000/- की राशि उपलब्ध कराई गई है ।**
- लाभार्थी की पात्रता :- **अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह हेतु ।**

- पूर्वपेक्षाएं :- अजा. के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह हेतु सादे कागज पर आवेदन करना है।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- अजा. के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- राशि रु. 5000/-
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- चेक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- सादे कागज पर अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग करना ।
- संलग्नको की सूची :- जाति, निवासी, गरीबी रेखा का राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र आदि
- संलग्नको का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप ।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राशि कोषालय से आहरण कर संबंधित को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- लाभाधिक्य की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

क्र.	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवासी			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म.न.
	वर्ष 2005-06							
01.	कु० ममता जाटव	5000	मन्नालाल	---	नीमच	नीमच	ग्वालटोली	
02	कु० कविता पासी	5000	स्व० छोटेलाल	---	नीमच	नीमच	नयाबाजार	
03	कु० संगीता बलाई	5000	स्व० विष्णु	---	--'		भादवामात	
04	कु० विद्या चमार	5000	स्व० मांगीलाल	---	--'	मनासा	आंत्री बुर्जुग	
05	कु० मंजु मोघिया	5000	नंदलाल	---	--'	नीमच	बोरदिया कला	
06	कु० ममता चमार	5000	मांगीलाल	---	--'	मनासा	बनी	
07	कु० मंजुबाई मेघवाल	5000	गोरधनलाल	---	--'	नीमच	आमलीखेड़ा	
08	कु० पिकी जाटव	5000	मदनलाल	---	--'	नीमच	अम्बडेकर कालोनी	
09	कु० राखी जाटव	5000	मदनलाल	---	--'	नीमच	--'	

10	कु० रजनी जाटव	5000	भं.वरलाल	---''----	--'--	नीमच	जवाहर नगर
11	कु० मधुबाला बलाई	5000	प्रभुलाल	---''----	--'--	जावद	आमलीभा ट
12	कु० ममता चमार	5000	नन्दलाल	---''----	--'--	मनासा	बर्डिया
13	चंचल जाटव	5000	देवकरण	---''----	--'--	नीमच	यादव मण्डी
14	कु० सावित्री मेहरा	5000	स्व० रामगोपाल	---''----	--'--	नीमच	ग्वालटोली
15	कु० अंगुरबाला खटिक	5000	शांतिलाल	---''----	--'--	जावद	खटिक मोहल्ला
16	कु० मोरी	5000	छोगालाल	---''----	--'--	जावद	आलोरी
17	कु० रीना बलाई	5000	प्रहलाद	---''----	--'--	जावद	बराड़ा
18	कु० यषोदा	5000	अम्बालाल	---''----	--'--	जावद	मेढकी
19	कु० ममता	5000	जालीमसिंह	---''----	--'--	नीमच	नीमच
20	कु० ज्योति	5000	लक्ष्मणसिंह	---''----	--'--	जावद	सुवाखेड़ा
21	कु० कल्पना बलाई	4000	प्रहलाद	---''----	--'--	जावद	बराड़ा
	वर्ष 2006-07			---''----	--'--		
01	कु० सरिता जाटव	5000	बंषीलाल	---''----	--'--	नीमच	अम्बेडकर कालोनी
02	कु० संगीता खटिक	5000	मूलचंद	---''----	--'--	मनासा	नयापुरा रामपुरा
03	कु० माया जाटव	5000		---''----	--'--	नीमच	सगरग्राम चल्दू
04	कु० इन्द्र बलाई	5000		---''----	--'--	मनासा	भाटखेडी
05	कु० मंजू चमार	5000		---''----	--'--	मनासा	लसूडिया
06	कु० आशाबाई बलाई	5000		---''----	--'--	मनासा	चपलाना
07	कु० यशोदा मेघवाल	5000		---''----	--'--	मनासा	घोटा पिपल्या
08	कु० गुडडीबाई मेघवाल	5000		---''----	--'--	मनासा	रगसपुरिया
09	कु० रेखा बलाई	5000		---''----	--'--	मनासा	चपलाना
10	कु० संतोष मेघवाल	5000		---''----	--'--	मनासा	बरथून
11	कु० तारा मेघवाल	5000		---''----	--'--	मनासा	हामाखेडी
12	कु० कारी मेघवाल	5000		---''----	--'--	जावद	कानका
13	कु० लाली मेघवाल	5000		---''----	--'--	जावद	कामलिया
14	कु० पुष्पा मेघवाल	5000		---''----	--'--	जावद	खोर
15	कु० भागवन्ती सरगरा	5000		---''----	--'--	जावद	केशपुरा
16	कु० लक्ष्मीकुमारी	5000		---''----	--'--	नीमच	चडोली

	बाछड़ा							
17	कु० ललिता बाछड़ा	5000		---''----	--'--	नीमच	चडोली	
18	कु० रेखा बाछड़ा	5000		---''----	--'--	मनासा	हाडी पिपलिया	
19	आशाबाई बाछड़ा	5000		---''----	--'--	मनासा	लाकडिया	
20	सुनीता बाछड़ा	5000		---''----	--'--	मनासा	मालखेड़ा	
21	कु० सरिका जाटव	5000	गुलाबचंदजी	---''----	--'--	नीमच	नीमच	
22	कु० सपना जाटव	5000	लक्ष्मीनारायण	---''----	--'--	नीमच	नीमच	
23	कु० गायत्री बैरवा	5000	शंकरलाल	---''----	--'--	नीमच	डंगलावदा	
24	कु० बीना प्लास	5000	शैलेन्द्र	---''----	--'--	नीमच	नीमच	
25	कु० ममता मेघवाल	5000	श्यामलाल	---''----	--'--	नीमच	मालखेड़ी	
26	कु० ज्योति मोची	5000	छोटेलाल	---''----	--'--	नीमच	नीमच	
27	कु० मंजू मोची	5000	छोटेलाल	---''----	--'--	नीमच	नीमच	
28	कु० अंजना	5000	कैलाष सिंह	---''----	--'--	नीमच	गिरदौड़ा	
		2,44,000		---''----				

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **दाई प्रोत्साहन योजना**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अनुसूचित जाति की महिलाओं की सफल प्रसूति कराने पर दाईयों को पुरस्कार प्रदाय करना ।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **अजा. के 166 महिलाओं की सफल प्रसूति पर 4159/- की राशि उपलब्ध कराई गई है ।**
- लाभार्थी की पात्रता :- **अनुसूचित जाति की महिलाओं की सफल प्रसूति कराना ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **अजा. के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **अनुसूचित जाति की महिलाओं की सफल प्रसूति कराने वाली दाईयों की सूची जिला चिकित्सालय से प्राप्त करना ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **अनुसूचित जाति की महिलाओं की सफल प्रसूति कराना ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **प्रति प्रसूति पर दाई को राशि रु. 25/-**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से जिला चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **सादे कागज पर अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग करना ।**
- संलग्नको की सूची :- **दाईयों की सूची जिला चिकित्सालय से प्राप्त करना ।**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप ।**

- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राशि कोषालय से आहरण कर जिला चिकित्साधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना ।
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गॉव	मनं
	पात्र दाईयों को राशि उपलब्ध कराई गई है।	4159	-	अजा. की महिला सफल प्रसूति	-	-	-	-

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- अस्वच्छ धंधों में लगे व्यक्तियों को अस्वच्छ धंधों से मुक्त कराना ।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- 8 नगरपंचायतों को राशि रु. 1.00 लाख उपलब्ध कराई गई ।
- लाभार्थी की पात्रता :- अस्वच्छ धंधों में रत व्यक्ति ।
- पूर्वपेक्षाएं :- अजा. के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- नगरपालिका/नगरपंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही ।
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- अस्वच्छ धंधों में रत होना ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- गमबूट दास्तान, हाइड्रोलिक ट्राली उपलब्ध कराना ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- चेक के माध्यम से ।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- निःशुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- नगरपालिका/नगरपंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त करना ।
- संलग्नकों की सूची :- नगरपालिका से प्राप्त प्रस्ताव ।
- संलग्नकों का प्रारूप :- शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप ।
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :- कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- राशि कोषालय से आहरण कर संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायतों को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है ।
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गॉव	मनं
	8 नगरपालिका/पंचायत को गमबुट दास्ताने प्रदाय	100000	-	-	-	-	-	-

- कार्यक्रम/योजना का नाम :- **अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन**
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- **स्थाई जब तक शासन से आज दिनांक तक तथा भविष्य में भी जब तक शासन द्वारा अवरुद्ध न किया जावे ।**
- कार्यक्रम का उद्देश्य :- **अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में सवर्ण लडके या लडकी द्वारा अनुसूचित जाति के लडके या लडकी से विवाह करने पर उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित करना ।**
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :- **निरंक**
- लाभार्थी की पात्रता :- **गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लडके से विवाह करना ।**
- पूर्वापेक्षाएं :- **अजा. के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ।**
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- **सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत करना ।**
- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदंड :- **गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लडके से विवाह करना ।**
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :- **राशि रु. 10000/- एवं प्रषसा पत्र ।**
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- **चेक के माध्यम से ।**
- आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) :- **निःशुल्क**
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) :- **नगरपालिका/नगरपंचायतो से प्रस्ताव प्राप्त करना ।**
- संलग्नको की सूची :- **जाति, निवासी, आयु, विवाह प्रमाण पत्र ।**
- संलग्नको का प्रारूप :- **शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप ।**
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें :- **कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच ।**
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :- **राशि कोषालय से आहरण कर संबंधित दम्पति को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है ।**
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास
------------------------------	-----------------	----------------	---------	-----------------	-------

					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मनं
	-	-	-	-	-	-	-	-

14प1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं ।

- कार्यक्रम का नाम : -
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने) : -
- उद्देश्य : -
- लक्ष्य (विगत वर्ष में) : -
- पात्रता : -
- पात्रता का आधार : -
- पूर्वापेक्षाएं : -
- प्राप्त करने की प्रक्रिया : -
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निर्धारित समय सीमा : -
- आवेदन शुल्क : -
- आवेदन पत्र का प्रारूप : -
- संलग्नको की सूची : -
- संलग्नको का प्रारूप : -
- प्राप्तिकर्ताओ की सूची (निम्न प्रारूप पर) : -

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैद्यता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	म.नं.
निरंक							

- 15ण1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापो/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध कराये ।
1. मुलभूत नियम :- शासकीय कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेखो का संधारण
 2. सिविल सेवा आचरण नियम :- कदाचरण के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना ।
 3. पेंशन नियम :- पेंशन प्रकरणो का निराकरण ।
 4. न्यायालयीन प्रकरण नियम :- वादोत्तर प्रस्तुत करना तथा निराकरण करवाना ।
 5. विभागीय जॉच/निलंबन :- विभागीय जांच का समय पर निराकरण करना ।
 6. अवकाष नियम :- पात्रतानुसार अवकाष स्वीकृत करना ।
 7. पदोन्नति नियम :- रिक्त पदो पर पात्रतनुसार पदोन्नति की कार्यवाही करना ।
 8. वेतन निर्धारण नियम :- शासन द्वारा स्वीकृत वेतन का निर्धारण करना ।
 9. वेतनवृद्धि नियम :- नियमित वेतनवृद्धि स्वीकृत करना ।
 10. अग्रिम वेतनवृद्धि नियम :- डिग्रीधारी/परिवार नियोजन पात्रतानुसार अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करना ।
 11. वेतन के अलावा भत्ते नियम :- शासन द्वारा स्वीकृत वेतनभत्ते का भुगतान करना ।
 12. सामान्य भविष्य निधि नियम :- जीपीएफ/डीपीएफ से पात्रतानुसार अग्रिम/पार्टफायनल स्वीकृत करना
 13. भण्डार क्रय नियम :- भण्डार क्रय नियमानुसार सामग्री क्रय करना ।
 14. क्रमोन्नति योजना नियम :- पात्र कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करना ।
 15. स्थानांतर नियम :- समय-समय पर जारी स्थानांतर निती अनुसार कार्यवाही करना ।
 16. अस्वच्छ धंधा छात्रवृति (शासन के आदेश वर्ष 1992-93)
 17. मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (शासन के आदेश वर्ष 1972)
 18. राज्य छात्रवृति योजना (शासन के आदेश वर्ष 1972)
 19. कन्या अजा./अजजा. प्रोत्साहन योजना (शासन के आदेश वर्ष 1992-94)
 20. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की शुल्क की प्रतिपूर्ति (शासन के आदेश क्र./एफ/12/24/1987/25 दिनांक 10.5.88)
 21. प्रावीण्य छात्रवृति योजना (शासन के आदेश वर्ष 1984-85)
 22. विद्यार्थी कल्याण योजना (शासन के आदेश वर्ष 1984)
 23. मेधावी पुरस्कार योजना (डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना 1990-91)
 24. पब्लिक स्कूल में प्रवेश योजना (शासन के आदेश वर्ष 2000-01)
 25. दिल्ली में उच्च अध्ययन हेतु छात्रावास सुविधा (शासन के आदेश वर्ष 2001-02)
 26. छात्रावास एवं आश्रम का संचालन (शासन के आदेश वर्ष 1966-67)
 27. सिविल सेवा प्रोत्साहन राषि (शासन के आदेश वर्ष 2003-04)
 28. जिला स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन (शासन के आदेश क्र. /एफ/12/11/2001/25/4/6.7.2001)
 29. विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्टता संस्थान का संचालन वर्ष 2004-05

30. छात्रगृह योजना (शासन के आदेश क्र./एफ/12/41/2/25/6.10.1981
31. अजा./अजजा. राहत योजना 1979
32. प्र.अजा./अजजा. अत्या.निवा.अधि. 1989
33. कन्या सौभाग्यवती योजना 2004-5
34. दाई प्रोत्साहन योजना
35. विधि स्नातको को आर्थिक सहायता
36. अजा. बस्ती सघन विकास 31 मई 1989
37. अस्वच्छ धंधो का व्यवसायीकरण 12.1.83
38. अनाबद्ध राषि
39. छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण
40. छात्रावास/आश्रम भवनो का उन्नयन
41. अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियम 1978
42. अजा. सामुहिक विवाह 1988
43. बाछडा बेडिया सजातीय विवाह 1984
44. पंचायत पुरस्कार 1985
45. सद्भावना षिविरो का आयोजन 1997-98

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो ।

निरंक

17ण1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

जैसे

- पुस्तकालय – निरंक
- नाटक/नुक्कड – निरंक
- अखबारो के द्वारा – हॉ (योजनाओ का प्रचार प्रसार किया जाता है)
- प्रदर्शनी – हॉ (जनसमस्या निवारण षिविरो में पोस्टर प्रदर्शनी)
- सूचना पटल – हॉ
- अभिलेखो का निरीक्षण – नहीं
- दस्तावेजो की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था – हॉ
- उपलब्ध विभागीय मेनुअल – हॉ
- लोक प्राधिकरण की वेबसाईट – नहीं
- अन्य प्रचार प्रसार के साधन – षिविर (सद्भावना षिविर)

18ण1 अन्य उपयोगी जानकारीयों ।

निरंक